UPGK010094412021

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

उपस्थितः राज कुमार सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा,

सेशन केस संख्या– 2140/2021,

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रति

1. सोनू सिंह पुत्र स्व0 नित्यानन्द सिंह,
2. उमेश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह,

निवासीगण– ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज,
जनपद– गोरखपुर।

अपराध संख्या– 02/2021,
धारा– 302/34 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर।

अधिवक्ता उपस्थितः–

अभियोजन पक्षः– श्री प्रियानन्द सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) व जयनाथ यादव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक)

अभियुक्त सोनू सिंह की ओर से न्यायमित्र श्री मुनीब यादव, एड़वोकेट,

अभियुक्त उमेश सिंह के अधिवक्ताः–श्री रामनरायन द्विवेदी, एड़वोकेट,

निर्णय

थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर की पुलिस ने अभियुक्तगण सोनू सिंह व उमेश सिंह, निवासीगण– ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर को अपराध संख्या– 02/2021, धारा– 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप–पत्रित किया है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि प्रथम सूचनाकर्ता करिया पुत्र बितानू, जो ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर का चौकीदार है, के द्वारा थाना– सिकरीगंज, जिला– गोरखपुर में एक लिखित तहरीर प्रदर्श क– 1 प्रस्तुत कर प्रथम

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या– 02/2021, अन्तर्गत धारा– 302 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज करायी गयी। लिखित तहरीर प्रदर्श क– 1 में निम्न कथन किये गये हैं कि,''महोदय, निवेदन यह है कि प्रार्थी करिया, ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर का चौकीदार हूॅ। मेरे गाँव के बालेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नित्यानन्द सिंह व सोनू सिंह पुत्र स्व0 नित्यानन्द सिंह व इन्सपेक्टर सिंह पुत्र उपरोक्त तीनो सगे भाई हैं, जो आये दिन शराब पीकर आपस में हिस्से व रूपये को लेकर मार–पीट करते हैं। दिनांक 09/10.01.2021 की रात्रि में सोनू सिंह पुत्र नित्यानन्द सिंह ने अपने सगे भाई बालेन्द्र सिंह पुत्र नित्यानन्द सिंह को टांगी से मार कर हत्या कर दिया। सूचना दे रहा हूॅ। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।''

03. इस प्रकार दिनांक 09/10.01.2021 को ग्राम बारीगाँव, अन्तर्गत थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर में घटित घटना की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2021 को ही प्रथम सूचनाकर्ता करिया द्वारा थाना– सिकरीगंज में दी गयी, जैसाकि तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से भी स्पष्ट है। उक्त तहरीर के आधार पर प्रकरण की प्राथमिकी दिनांक 10.01.2021 को समय 10:51 बजे थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर में अपराध संख्या– 02/2021 पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 302 के अपराध के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू सिंह के विरूद्ध पंजीकृत की गयी, जैसाकि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क– 3 के अवलोकन से स्पष्ट है।

04. दिनांक 10.01.2021 को वहवाले रपट संख्या– 15 समय 10:51 बजे प्रथम सूचनाकर्ता चौकीदार करिया पुत्र बितानू, निवासी– ग्राम बारीगाँव, अन्तर्गत थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर द्वारा दिनांक 09/10.01.2021 की रात्रि में जमीन व पैसे को लेकर सोनू सिंह द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर अपने सगे भाई बालेन्द्र सिंह की हत्या करने के सम्बन्ध में सूचना अंकित कर प्राप्त सूचना के आधार पर मृतक बालेन्द्र सिंह के शव का नियमानुसार पंचायतनामा की कार्यवाही अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत एवं परीक्षित औपचारिक साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या– 5 उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र कुशवाहा, जो घटना के समय थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त थे, के द्वारा कां0 विनय सिंह व कां0 भानू प्रताप मौर्या की उपस्थिति में की गयी। पंचायतनामा के समय मृतक बालेन्द्र सिंह के गले पर सामने लगभग 4 X 2 इंच का कटे का निशान जहाँ से मांस हटा हुआ था। दाढ़ी पर कटे का निशान, माथे भौह पर कई कट के निशान थे। चेहरा खून से लथपथ, सर पर भी कई घाव व कटे फटे का निशान खून में सना था व बांये कान पर भी कटे का निशान था। पंचायतनामा के सभी साक्षियों ने एक स्वर में यह कथन किया कि मृतक उपरोक्त को उसके भाई सोनू सिंह जमीन व पैसे की बात को लेकर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या

कर दी गयी। पंचायतनामा की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त मृतक के शव को जरिये कां विनय सिंह व कां0 भानू प्रताप मौर्या पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु आवश्यक प्रपत्रों के साथ रवाना किया गया।

05. मृतक बालेन्द्र सिंह का पोस्टमार्टम परीक्षण दिनांक 11.01.2021 को समय 02:00 बजे दोपहर से 02:20 बजे दोपहर तक अभियोजन साक्षी संख्या– 5 चिकित्सक डाक्टर सतेन्द्र कुमार, जिनकी ड्यूटी उस दिन पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु लगी थी, के द्वारा सम्पन्न किया गया। चिकित्सक डाक्टर सतेन्द्र कुमार के द्वारा पोस्टमार्टम परीक्षण के समय बालेन्द्र सिंह के शरीर पर कुल 07 उपहतिया पायी गयी। चिकित्सक के अनुसार मृतक बालेन्द्र सिंह की मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व आयी उपहतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोमा के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम परीक्षण आख्या प्रदर्श क– 16 ए के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है।

06. इस आपराधिक प्रकरण के विवेचनाधिकारी उपेन्द्र कुमार मिश्र, जो घटना के समय थाना– सिकरीगंज में निरीक्षक के पद पर नियुक्त थे, ने विवेचना के क्रम में थाने से प्राप्त नकल चिक व नकल रपट का अवलोकन कर उसका उल्लेख केस डायरी में किया। विवेचना के क्रम में विवेचक के द्वारा एफ0आई0आर0 लेखक हेड मोहर्रिर शेषराम चौधरी व प्रथम सूचनाकर्ता करिया का बयान केस डायरी में अंकित किया गया तथा प्रथम सूचनाकर्ता करिया की निशानदेही पर घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श क– 5 तैयार किया गया तथा अभियुक्त सोनू सिंह को गिरफ्तार कर उसका बयान केस डायरी में अंकित किया गया और अभियुक्त सोनू सिंह की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल टांगी बरामद किया गया। अभियुक्त सोनू द्वारा बरामद करायी गयी आला कत्ल टांगी व एक अदद अभियुक्त का लोअर पैन्ट की फर्द प्रदर्श क– 6 मौके पर तैयार किया गया एवं फर्द बरामदगी का अंकन केस डायरी में किया गया तथा बरामद आला कत्ल का मानचित्र प्रदर्श क– 7 तैयार किया गया।

07. विवेचना के क्रम में विवेचक को इस घटना के विषय में यह जानकारी प्राप्त हुई कि घटना में अभियुक्त उमेश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह, निवासी– ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर भी शामिल था। सम्पूर्ण विवेचना व कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप–पत्र प्रदर्श क– 18 न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

08. अभियुक्तगण सोनू सिंह व उमेश सिंह के विरुद्ध तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0– 2 अण्डर 14 फाइनेन्स कमीशन, गोरखपुर द्वारा धारा– 302,34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

09. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न प्रदर्श दाखिल किये गये हैं–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1.	प्रदर्श क– 1	लिखित तहरीर
2.	प्रदर्श क– 2	पंचायतनामा
3.	प्रदर्श क– 3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
4.	प्रदर्श क– 4	मुकदमा कायमी की जी0डी0
5.	प्रदर्श क– 5	मानचित्र घटना स्थल
6.	प्रदर्श क– 6	फर्द बरामदगी आला कत्ल टांगी
7.	प्रदर्श क– 7	मानचित्र बरामदगी आला कत्ल टांगी
8.	प्रदर्श क– 8	विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने हेतु प्रेषित पत्र
9.	प्रदर्श क– 9	गिरफ्तारी प्रपत्र
10.	प्रदर्श क– 10	जी0डी0 फर्द बरामदगी
11.	प्रदर्श क– 11	जी0डी0 गिरफ्तारी अभियुक्त उमेश सिंह
12.	प्रदर्श क– 12	चिट्ठी आर0आई0
13.	प्रदर्श क– 13	चिट्ठी सी0एम0ओ0
14.	प्रदर्श क– 14	पुलिस फार्म
15.	प्रदर्श क– 15	फोटोनाश
16.	प्रदर्श क– 16	फर्द बरामदगी खूनालूदा मिट्टी
17.	प्रदर्श क– 16 ए	पोस्टमार्टम रिपोर्ट

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

18.	प्रदर्श क– 17	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त उमेश सिंह
19.	प्रदर्श क– 18	आरोप–पत्र
20.	वस्तु प्रदर्श– 1	खूनालूदा मिट्टी
21.	वस्तु प्रदर्श– 2	कपड़ा
22.	वस्तु प्रदर्श– 3	सादी मिट्टी
23.	वस्तु प्रदर्श– 4	कपड़ा
24.	वस्तु प्रदर्श– 5	आला कत्ल टांगी
25.	वस्तु प्रदर्श– 6	आला कत्ल टांगी का कपड़ा
26.	वस्तु प्रदर्श– 7	अभियुक्त सोनू सिंह का लोवर
27.	वस्तु प्रदर्श– 8	सील्ड कपड़ा
28.	वस्तु प्रदर्श– 9	सील्ड कपड़ा
29.		विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित 08.08.2024

10. अभियोजन ने अपने कथानक के समर्थन में निम्न साक्षीगण को मौखिक साक्ष्य के रूप में परीक्षित कराया है–

क्रम संख्या	अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षीगण का नाम
1.	अभियोजन साक्षी संख्या– 01	करिया
2.	अभियोजन साक्षी संख्या– 02	जोगेन्द्र सिंह
3.	अभियोजन साक्षी संख्या– 03	हेड कां0 शेषनाथ चौधरी
4.	अभियोजन साक्षी संख्या– 04	निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र
5.	अभियोजन साक्षी संख्या– 05	एस0आई0 रमेश चन्द्र कुशवाहा
6.	अभियोजन साक्षी संख्या– 06	डाक्टर सतेन्द्र कुमार
7.	अभियोजन साक्षी संख्या– 07	एस0आई0 राजाराम द्विवेदी

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

11. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अभियोजन का पक्ष रखते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये कि,''प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त सोनू सिंह द्वारा बालेन्द्र सिंह की टांगी से मार कर हत्या किया जाना अंकित किया गया है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क– 1 अभियोजन साक्षी संख्या– 1 करिया चौकीदार द्वारा साबित की गयी है। करिया चौकीदार द्वारा अपने बयान में बालेन्द्र सिंह के गर्दन पर सोनू द्वारा कुल्हाडी से प्रहार करने व मौके पर मृत्यु हो जाने का बयान दिया है। विवेचना में अभियुक्त सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर आला कत्ल टांगी बरामद की गयी। अभियुक्त के द्वारा पहने लोवर पैन्ट व आला कत्ल टांगी को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया। उक्त जांच में विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने अपनी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि टांगी व लोवर पर मानव रक्त पाया गया है। अभियुक्त के द्वारा पहने गये कपड़े व उसकी निशानदेही पर बरामद आला कत्ल की बरामदगी न्यायालय में निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र, अभियोजन साक्षी संख्या– 04 द्वारा साबित की गयी है। इस प्रकार से अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित होने, उसकी निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी, उसके द्वारा पहने हुए कपड़ो एवं आला कत्ल पर मानव रक्त की उपस्थिति साबित है। अभियुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अभियुक्तगण से जब इस सम्बन्ध में पूछा गया, तो उन्होने यह उत्तर दिया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि धारा– 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानो के अन्तर्गत यह अभियुक्तगण का दायित्व था कि वे अपने विशेष ज्ञान के तथ्य को स्पष्ट करते, किन्तु उसके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मानव रक्त उसके लोवर पर कैसे आया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो से यह युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित हो रहा है कि अभियुक्त सोनू सिंह व उमेश सिंह द्वारा मृतक बालेन्द्र सिंह की हत्या की गयी है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।''

12. अभियुक्त सोनू सिंह के बचाव में विद्वान न्याय .मित्र श्री मुनीब यादव, एड़वोकेट एवं अभियुक्त उमेश सिंह के बचाव में विद्वान अधिवक्ता श्री रामनरायन द्विवेदी द्वारा निम्नलिखित तर्क किये गये कि,''अभियुक्तगण की प्रश्नगत घटना में संलिप्तता के बाबत न तो कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान है और न ही अभियुक्तगण को मृतक बालेन्द्र सिंह के साथ घटनास्थल पर मृत्यु पूर्व किसी के द्वारा देखा ही गया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 01 द्वारा तहरीर प्रदर्श क– 1 को साबित किया है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श क– 1 थाने पर ही किसी ने लिखा है, और उस पर मेरा हस्ताक्षर बनवा लिया था। इस साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया था कि घटना रात्रि में घटी थी मैने अपनी आँखो से

नहीं देखी थी। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह भी तर्क किया गया कि विवेचक द्वारा भी अपने बयान में स्वीकार किया गया है कि इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी व कथित बरामदगी की जो फर्द बनायी गयी है। उस फर्द में भी कोई स्वतन्त्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। फर्द पर केवल पुलिस कर्मचारियो के ही हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त से वास्तव में कोई बरामदगी नहीं की गयी थी। पुलिस द्वारा गलत विवेचना कर अभियुक्त को गलत तरीके से गिरफ्तार कर फर्जी बरामदगी दर्शाकर अपराध में संलिप्तता दर्शाते हुए गलत तरीके से आरोप–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें दोषमुक्त किया जाये।''

13. मैंने विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा समस्त साक्ष्यों एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। प्रस्तुत सत्र परीक्षण के विधिसम्मत निस्तारण एवं विनिश्चयन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा– 354 (ख) के प्राविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अवधार्य प्रश्न विरचित किये जाते हैं:–

(क)– क्या अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा– 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रही है? यदि हां तो इसका प्रभाव?

15. मैं अभियोजन एवं अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का परिशीलन फौजदारी विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्तो को मस्तिष्क में रखते हुए कर रहा हूं कि यह अभियोजन पर भार है कि वे आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करें। यह अभियुक्तगण पर भार नहीं है कि वह स्वयं को निर्दोष साबित करे। मैं साक्ष्यों का विश्लेषण फौजदारी विधि के इस सुस्थापित सिद्धान्त को भी मस्तिष्क में रखते हुए कर रहा हूं कि न्यायालय का केवल यह कर्तव्य नहीं होता है कि कोई निर्दोष सजा न पाने पावे, बल्कि न्यायालय का यह भी कर्तव्य होता है कि कोई दोषी छूटने न पावे। दोनों ही लोक कर्तव्य हैं।

16. अभियुक्तगण को धारा– 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से आरोपित किया गया है। उक्त आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पर भार है कि वह साबित करे कि अभियुक्तगण द्वारा धारा– 302/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत वर्णित कृत्य को कारित किया गया है।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

(क)– धारा– 302 भारतीय दण्ड संहिता में हत्या हेतु दण्ड के प्राविधान किये गये हैं। हत्या के प्राविधान भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 300 में उल्लिखित है–

एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के' आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा – यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा – यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा

चौथा– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसत्रसंकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

अपवाद 1– आपराधिक मानव–वध कब हत्या नहीं है– आपराधिक मानव–वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्यधीन है–

पहला– यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा– यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में, या लोक–सेवक द्वारा ऐसे लोक–सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गयी हो।

तीसरा–यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गयी हो।

स्पष्टीकरण– प्रकोपन इतना गम्भीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

अपवाद 2– आपराधिक मानव–वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुये विधि द्वारा उसे दी गयी शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्वचिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से

जितनी अपहानि करना आवश्यक हो, उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो

अपवाद 3– आपराधिक मानव–वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक–सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गयी शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके, जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक–सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यनिर्वहन के लिये आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्यु कारित की गयी है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे।

अपवाद 4– आपराधिक मानव–वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव–वध अचानक झगड़ा–जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व–चिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।

स्पष्टीकरण– ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।

अपवाद 5– आपराधिक मानव–वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति, जिसकी मृत्यु कारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु की जोखिम उठाये।

17. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत एवं परीक्षित तथ्य के साक्षी **अभियोजन साक्षी संख्या– 01 करिया चौकीदार** इस आपराधिक प्रकरण का प्रथम सूचनाकर्ता है। इस साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि,''दिनांक 10.01.2021 को मैं अपने गॉव वारीगाँव में था। मैं बारीगाँव का चौकीदार हूॅ। बारीगाँव थाना–सिकरीगंज में पड़ता है। मेरे गाँव के वालेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नीत्यानन्द सिंह, सोनू सिंह पुत्र नीत्यानन्द सिंह और इस्पेक्टर सिंह पुत्र नीत्यानन्द सिंह उपरोक्त लोग सगे भाई हैं। आये दिन ये तीनो लोग आपस में शराब पी कर अपने हिस्से व रूपये को लेकर मार–पीट करते थे। दिनांक 09/10 की रात 2021 में सोनू सिंह ने अपने सगे भाई बालेन्द्र सिंह को टांगी से मार के हत्या कर दिए। जब सुबह जानकारी हुआ, तो मैं थाना सिकरीगंज गया, वहॉ पर मैं एक व्यक्ति से बोलकर प्रार्थना–पत्र लिखाया। वह प्रार्थना–पत्र पढ़ कर मैने अपना हस्ताक्षर बनाया और थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया, जो शामिल मिशिल पत्रावली कागज संख्या–5 क तहरीर पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसका मैं पहचान करता हूॅ। जिस पर **प्रदर्श क– 1** डाला गया। मुझे फिर गाँव वालो ने बताया कि सोनू सिंह के साथ उमेश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह,

निवासी– बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर भी सम्मिलित थे। इस घटना के दिन बालेन्द्र सिंह के भाई सोनू सिंह व उमेश सिंह मृतक बालेन्द्र सिंह के साथ मार–पीट कर रहे थे। जिसमें उमेश सिंह व सोनू सिंह द्वारा पैसे के लेन–देन को लेकर मृतक बालेन्द्र सिंह को मार–पीट रहे थे। इसी दौरान सोनू सिंह द्वारा मृतक बालेन्द्र सिंह के गर्दन पर कुलाड़ी से प्रहार कर दिया, जिससे बालेन्द्र सिंह का मौके पर मृत्यु हो गया। मैने दरोगा जी को घटना स्थल का निरीक्षण कराया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैं गाँव का चौकीदार हूँ। इसलिए मैने मुकदमा पंजीकृत कराया था।''

अपनी प्रति परीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने कथन किया है कि,''मैं बारीगाँव का चौकीदार तीस चालिस से हूॅ। इस तीस चालिस साल के बीच में हम एको मुकदमा ना लिखाए है। थाने पर मैं मौखिक सूचना दिया था। कागज संख्या– 5 क प्रदर्श क– 1 को साक्षी ने देख कर कहा कि यह किसने लिखा था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस पर मेरा हस्ताक्षर बना है। अज फिर कहा कि दरख्वास्त प्रदर्श क– 1 थाने पर ही थाने में ही किसी ने लिखा है। कौन लिखा नहीं बता सकता। उस पर मेरा हस्ताक्षर बनवा लिया गया था। अज फिर कहा कि बनाया हूॅ। मेरा घर मृतक के घर से काफी दूर है। रात की घटना है। हमको जब जानकारी दी गई, तो मैं थाने पर जा कर सूचना दिया। घटना कितने बजे की है, मुझको जानकारी नहीं है। साहब हमको यह सूचना हुई कि हत्या हो गई है, कौन मारा किसने मारा, क्यो मारा इसकी जानकारी हमको नहीं है। दरोगा जी मुझसे पूछ–ताछ किये थे। किने दिन बाद किए थे यह मुझको जानकारी नहीं है। दरोगा जी के साथ मैने घुम कर मैने कुछ नहीं बताया था। दरोगा जी मुझसे केवल एक ही बार पूछ–ताछ किए थे। मैं अपने दरोगा जी के दिए बयान में किसी भी मारने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया था। गवाह को उसका मजिद बयान पढ़कर सुनाया गया, तो उसने बताया कि मैने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था कि घटना में सोनू सिंह के साथ उमेश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज भी सम्मिलित थे। उपरोक्त बयान दरोगा जी कैसे लिख लिए मैं इसका कोई वजह नहीं बता सकता।

यह कहना गलत है कि दरोगा जी/विवेचक ने गलत ढंग से साजिश के तहत मेरे बयान में उमेश सिंह का नाम लिख लिया।''

दिनांक 19.04.2023 को साक्षी करिया चौकीदार पुत्र बिरजू ने जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ बयान किया कि जिस घटना के बारे में मैने न्यायालय में बयान दिया है, वह घटना रात में घटी थी एवं घटना मैने अपनी आँखो से नहीं देखी थी। मृतक बालेन्द्र सिंह को किसने मारा यह मैने देखा और किस हथियार से मारा यह भी मैने नहीं देखा। मेरा घर और मुल्जिम सोनू का घर एकाध किलोमीटर से कुछ कम दूरी पर है। घटना के बारे में जो कुछ मैने सुना कि यह काण्ड हुआ है उस बात की सूचना मैने थाने पर दी थी।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

मृतक बालेन्द्र सिंह और सोनू सिंह के बीच में रूपये पैसे का झगड़ा था। बालेन्द्र और सोनू दोनो ही शराब पीते थे, लेकिन मेरे सामने उन्होने कभी शराब नहीं पी। उनके पीने वाली बात मैं दूसरो द्वारा बताए जाने के आधार पर कह रहा हूॅ। सम्बन्धित घटना रात में कितने बजे घटी यह मुझे मालूम नहीं है। जो प्रार्थना–पत्र मैने थाने पर दिया था, वह बाहर मन्दिर के पास चौकी पर बैठै किसी व्यक्ति से लिखाया था। प्रार्थना–पत्र लिखने वालो का नाम पता मैं नहीं बता पाऊँगा, वह मेरे जान पहचान के नहीं थे। यह कहना गलत है कि मैने प्रार्थना–पत्र थाने पर ही किसी पुलिस वाले से लिखाया था। मैं कक्षा– 8 तक पढ़ा हूँ। मैं लिखना पढ़ना जानता हूँ। लेकिन अब नहीं लिख पाता हूँ। जिस समय मैने प्रार्थना–पत्र दिया था, उस समय भी मैं लिखने की स्थिति में नहीं था, क्योकि मेरा हाथ हिल जाता था। मैं थाने पर प्रार्थना–पत्र लेकर सुबह 7–8 बजे गया था। मुझसे दरोगा जी पूछ–ताछ किए थे। मैंने पुलिस वालो को घटना स्थल नहीं दिखाया था, पुलिस वाले वहाँ स्वयं गए थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्त सोनू सिंह ने कथित घटना कारित नहीं की थी। मेरी कोई जमीन अभियुक्त सोनू की जमीन के पास नहीं है। यह कहना गलत है कि मैने दुश्मनीवश सोनू का नाम अभियुक्त के तौर पर डाल दिया।''

18. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत एवं परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या– 02 योगेन्द्र सिंह** इस आपराधिक प्रकरण के पंचायतनामा का गवाह है। इस साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि,''बालेन्द्र सिंह मेरे गाँव के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु हो गयी है। कैसे हुई, मुझे नहीं मालूम, उनके शव का पंचायतनामा दरोगा जी बनाये थे। मैं भी पंचायतनामा के समय मौजूद था। दरोगा जी लिखा पढ़ी किए थे। पढ़कर सुनाये, सुनने के बाद मैं भी हस्ताक्षर बनाया था। पंचायतनामा पत्रावली में संलग्न है। जो कागज संख्या– 10 क/1 व 10 क/2 है, जिसे साक्षी ने देखकर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क– 2** डाला गया।''

अपनी प्रति परीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने कथन किया है कि,''पंचायतनामा में क्या लिखे थे, मुझे नहीं बताया गया, न पढ़ने को दिया गया। जब मैं पहुँचा लाश सील हो चुकी थी।

पंचायतनामा को सिपाही भरे या दरोगा मैं नहीं बता सकता। जब मैं मौके पर पहुँचा दरोगा जी कहे कि इस पर दस्तखत कर दीजिए। जिस समय मैं इस पन्ने पर दस्तखत किया वह सादा था कुछ लिखा नहीं था।''

19. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत एवं परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या– 03 शेषराम चौधरी** इस आपराधिक प्रकरण का चिक

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

एफ0आई0आर0 लेखक है। इस साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि,''दिनांक 10.01.2021 को थाना– सिकरीगंज में हेड मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उस दिन करिया के प्रार्थना–पत्र दिनांकित 10.01.2021 के आधार पर एफ0आई0आर0 संख्या– 02/2021, धारा– 302 भा0दं0सं0 बनाम सोनू सिंह के विरूद्व एफ0आई0 आर0 टी0एन0एस0 पर तैनात कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोल कर टाईप कराया। टाईप होने के पश्चात् प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र के हस्ताक्षर है। वह एफ0आई0आर0 पत्रावली में संलग्न है। जो कागज संख्या– 4 क/1 व 4 क/2 है। जिसे साक्षी ने देखकर कहाँ कि इस पर थाना– प्रभारी के सूक्ष्म हस्ताक्षर है। उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क– 3** डाला गया। प्रदर्श क– 1 के पुष्ट पर मैने लिखा है कि दाखिल प्रार्थना–पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या– 02/2021, धारा– 302 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया। तत् पश्चात अपना हस्ताक्षर बनाया। इस मुकदमे की कायमी जी0डी0 नम्बर– 15 दिनांकित 10.01.2021 समय 10:51 बजे सी0सी0टी0एन0एस0 पर कम्प्यूटर आपरेटर को बोल–बोलकर कायमी करायी गयी। वह जी0डी0 पत्रावली में संलग्न है, जो कागज संख्या– 6 क/03 है। जिसे साक्षी ने देखकर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क– 4 डाला गया।''

अपनी प्रति परीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने कथन किया है कि,''मैं थाना सिकरीगंज में 22.06.2020 से कार्यरत था। दिनांक 10.01.2021 को थाने पर मेरी ड्यूटी सुबह 08:00 बजे से थी। इस घटना की तहरीर लगभग 10:00–10:15 बजे हमको दी गयी थी। तहरीर में जो लिखा था उसको अक्षरशः कम्प्यूटर में दर्ज कराया। सुबह समय 10:54 बजे लगभग कम्प्यूटर पर दर्ज कराया और जी0डी0 पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। मेरे अलावा जी0डी0 पर मेरे हस्ताक्षर के ऊपर थाने की मोहर लगी है। जी0डी0 नम्बर– 15 6 क/03 से पहले या बाद में किस मुकदमे की इन्ट्री है, मैं इस समय नहीं बता सकता। मुकदमे की तहरीर मेरे सामने नहीं लिखी गयी थी। मुकदमे की तहरीर ग्राम सभा के चौकीदार द्वारा लिखित रूप से हमको दी गयी थी। यह कहाँ लिखी गयी थी, मुझको जानकारी नहीं थी।

यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा चौकीदार करिया को बुलाकर थाने में ही मैने तहरीर बोलकर लिखाई तत् पश्चात कम्प्यूटर में दर्ज कराया।

यह भी कहना गलत है कि यह मुकदमा बहुत बाद में पहले का समय दिखाकर कम्प्यूटर में दर्ज कराया।

जब मैं प्रदर्श क– 3 तैयार कराया। उस समय वादी मुकदमा मेरे सामने था। वादी मुकदमा से तहरीर लिखवाने के बारे में नहीं पूछा था। तहरीर में घटना का समय नहीं लिखा गया था। इसलिए मैने प्रदर्श क– 3 में घटना का समय जीरो–जीरो कर के छोड़ दिया है। पहले मैंने जी0डी0 इन्ट्री किया, उसके बाद एफ0आई0आर0 किया। जी0डी0 लिखाने

में हमको लगभग 20 मिनट का समय लगा। उसके बाद एफ0आई0आर0 लिखवाया। जी0डी0 के कालम दो में जो समय 10:51 बजे इन्ट्री किया गया है, वह जी0डी0 जमा करने का समय है। जो एफ0आई0आर0 में समय मैने 10:51 लिखा है, वह एफ0आई0आर0 समाप्त करने का समय है। एफ0आई0आर0 लिखने में भी 20 मिनट का समय लगता है। प्रदर्श क– 3 कालम संख्या– 14 सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान का कालम खाली है। किसी का हस्ताक्षर नहीं है। इस कालम में वादी का हस्ताक्षर कराया जाता है। परन्तु प्रदर्श क– 3 में वादी का हस्ताक्षर नहीं है। धारा– 302 भा0दं0सं0 गम्भीरतम अपराध है। प्रदर्श क– 3 का अदालत में प्रेषण का दिनांक व समय का भी कालम खाली है। प्रदर्श क– 3 का पेज संख्या– 1 श्रीमान सी0जे0एम0 के सूक्ष्म सिग्नेचर है, परन्तु किस तारीख का है, मैं नहीं बता सकता। यह प्रदर्श क– 3 व प्रदर्श क– 4 में गम्भीरतम अपराध की सूचना सम्बन्धित उच्च अधिकारियो को कब भेजी गयी, तारीख, महीना, समय का कही कुछ उल्लेख नहीं किया हूॅं।

यह कहना गलत है कि चौकीदार थाने से सम्बन्धित कर्मचारी होता है। चौकीदार सरकारी कर्मचारी होने के नाते तहरीर को हम थाने के लोग स्वतः बोलकर लिखवा कर बाद में समय के पहले का समय का अंकन करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी0डी0 अंकित किया है।''

20. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत एवं परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या– 04 निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र** इस आपराधिक प्रकरण का विवेचक है। इस साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि,''दिनांक 10.01.2021 को मैं बतौर निरीक्षक थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर पर तैनात था। उस दिन मु0अं0सं0– 02/2021, धारा– 302 भा0दं0सं0, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर वादी मुकदमा चौकीदार करिया बनाम सोनू सिंह वगै0 कि विवेचना मुझ विवेचक द्वारा नकल चिक व नकल रपट थाना– कार्यालय से प्राप्त कर मुझ द्वारा ग्रहण की गई। दिनांक 10.01.2021 को केस डायरी का पर्चा नं0– 01 मुझ विवेचक द्वारा किता किया गया। जिसमे नकल चिक व नकल रपट का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 10.01.2021 को ही एफ0आई0आर0 लेखक हेड मोहर्रिर शेषराम चौधरी, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। उसी दिन वादी मुकदमा करिया पुत्र बितानु ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जिसका अंकन केस डायरी में किया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या– 8 क/1 नक्शा–

नजरी मूल संबंधित अपराध संख्या– 02/2021, धारा– 302 भा0दं0सं0, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर वादी करिया बनाम अभियुक्त सोनू सिंह को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही नक्शा–नजरी है, जिसे दिनांक 10.01.2021 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। अपने लेख व हस्ताक्षर को तसदीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क– 5 डाला गया। उसी दिन अभियुक्त सोनू सिंह की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। मुखबिर के बताने पर अभियुक्त सोनू सिंह पुत्र स्व0 नित्यानन्द सिंह, ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज गोरखपुर की गिरफ्तारी की गई और उसी दिन अभियुक्त सोनू सिंह का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सोनू सिंह की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल टांगी बरामद किया गया। अभियुक्त सोनू सिंह द्वारा बरामद करायी गयी आला कत्ल टांगी की फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गई। फर्द पत्रावली में शामिल कागज संख्या– 7 क एक अदद आला कत्ल टांगी व एक अदद अभियुक्त का लोअर पैन्ट सम्बन्धित मु0अं0सं0– 02/21, धारा– 302 भा0दं0सं0 व गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा– 302 भा0दं0सं0 दिनांक 10.01.2021 को मैं वह हमराह कां0 विक्रम प्रताप सिंह, कां0 रामधारी यादव मय सरकारी जीप वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु0अं0सं0– 02/21, धारा– 302 भा0दं0सं0 की तलाश में मामूर था, की जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की हत्या का अभियुक्त सोनू सिंह दुघरा बाजार सड़क तिराहे पर खड़ा है की सूचना पर मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुँचकर देखा गया, तो हम पुलिस वालो को देखकर एक व्यक्ति हटने बढ़ने लगा, तो सख्ती से घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की जामा तलाशी ली गई उसने अपना नाम सोनू सिंह पुत्र नित्यानन्द सिंह, निवासी– बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर उम्र लगभग 36 वर्ष बताया। जामा तलाशी ली गई, तो उसकी दाहिनी जेब से 500 के दो नोट बरामद हुए। पहने हुए लोवर पर खून के धब्बे थे। कड़ाई से पूछा गया, तो उसने बताया कि मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दिया था, जिसमे मिले पैसे के बटवारे को लेकर मेरे व मेरे बड़े भाई बालेन्द्र से विवाद हो गया था। आज रात्रि को सोते समय गुस्से में आकर मैने टांगी से उनके गले पर वार कर के हत्या कर दिया। मारने पर जो खून निकला वह मेरे पैर पर लग गया। टांगी के बारे में पूछने पर उसने बताया कि घर के बरामदे के बगल वाले कमरे में टांगी छुपाकर रखा हूँ। मुल्जिम को साथ लेकर बारीगाँव रवाना हुआ। घर से कुछ दूरी पर गाड़ी से उतरकर मुल्जिम आगे–आगे बढ़कर अपने घर के बरामदे के दाहिने तरफ वाले कमरे से आला कत्ल टांगी बरामद कराया। बरामदशुदा टांगी व लोवर मौके पर सील मोहर कर के नमूना मोहर तैयार किया गया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर बजाफ्ता समय 12:30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। जनता के लोगो से गवाही हेतु कहा गया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। गिरफ्तारी के समय माननीय उच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो–निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। फर्द मौके पर लिख पढ़कर सुनाकर

अभियुक्त व सम्बन्धित आलामात के हस्ताक्षर बनवाए गए। पत्रावली में शामिल मिसिल कागज संख्या– 7 क/1 व 7 क/2 मूल को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही फर्द बरामदगी है, जिसे दिनांक 10.01.2021 को मैने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जिस पर अन्य सम्बन्धित के भी हस्ताक्षर बनवाए गए। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क– 6** डाला गया। उक्त फर्द बरामदगी का अंकन केस डायरी में किया। बरामद आला कत्ल की नक्शा–नजरी दिनांक 10.01.2021 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या– 8 क/2 नक्शा–नजरी बरामद आला कत्ल बहद ग्राम बारीगाँव को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही बरामद आला कत्ल नक्शा–नजरी है, जिसे मैने दिनांक 10.01.2021 को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की तसदीक करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क– 7** डाला गया। उसी दिन अभियुक्त का मा0 न्यायालय से रिमाण्ड हेतु याचना की गई, जिसका अंकन केस डायरी में किया।

दिनांक 06.08.2024 को पुनः प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि, ''दिनांक 12.01.2021 को केस डायरी का पर्चा नम्बर– 2 मुझ विवेचक द्वारा किता किया गया जिसमे साक्षी इन्द्रेश यादव (मुनीब) व मजीद बयान वादी ग्राम चौकीदार करिया का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया. अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल बयान गवाहान मजीद बयान वादी व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्त उमेश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी– ग्राम बारीगांव, थाना– सिकरीगंज, गोरखपुर का नाम प्रकाश में आया तथा अग्रिम विवेचना धारा– 302 आई0पी0सी0 बनाम अभियुक्तगण सोनू सिंह व उमेश सिंह निवासीगण– ग्राम बारीगांव, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर के विरुद्ध विवेचना प्रचलित की गयी। दिनांक 14.01.2021 को केस डायरी का पर्चा नम्बर– 3 किता किया गया। जिसमें अभियुक्तगण उमेश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की गयी व कड़ाई से घटना के बारे में पूछा गया और उसका बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 15.01.2021 को केस डायरी का पर्चा नम्बर– 04 किता किया गया। जिसमें फर्द बरामदगी खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी अलग–अलग डिब्बों मे मृतक बालेन्द्र पुत्र स्व0 नित्यानन्द सिंह, निवासी– ग्राम बारीगांव, थाना– सिकरीगंज, जिला– गोरखपुर सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या उपरोक्त थाना कार्यालय से प्राप्त कर जो उ0नि0 रमेश चन्द्र कुशवाहा द्वारा घटना स्थल से एकत्र किया गया है, का अवलोकन कर अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 21.01.2021 को केस डायरी का पर्चा नम्बर–

5 किता किया। जिसमें पी0एम0 रिपोर्ट मृतक बालेन्द्र का अवलोकन कर अंकन केस डायरी में किया। बयान पंचायतनामा साक्षी उ0नि0 रामेश चन्द्र कुशवाहा व का0 शत्रुध्न गिरी व पंचायतनामा साक्षी राकेश सिंह, योगेन्द्र सिंह, राजू सिंह, नुरुलहक, राम बुझारत यादव का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। पत्रावली में शामिल मिसिल कागज संख्या– 15 क/1, 15 क/4 सम्बन्धित मु0अ0सं0– 02/2021, धारा– 302/34 आई0पी0सी0, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर क0सं0 15 क/5 डाकेट लाट नम्बर– 41 दिनांक 23.01.2021 का कागज संख्या– 15 क/6 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही प्रपत्र है जिसे क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर से व मेरे हस्ताक्षर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये हैं। उक्त प्रपत्र पर बने अपने हस्ताक्षर व क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर को मैं तस्दीक करता हूं। क्योंकि उक्त क्षेत्राधिकारी योगेनेद्र कृष्ण नारायण के साथ मैं काम किया हूँ उनको लिखते पढ़ते मैं देखा हूं। उक्त डाकेट पर बने उनके हस्ताक्षर की मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क– 8** डाला गया। गिरफ्तारी प्रपत्र कागज संख्या– 16 क/1 व 16 क/2 व 16 क/3 व 16 क/4 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही प्रपत्र है जिसे मेरे निर्देशन में तैयार किया गया था जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की तसदीक करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। जी0डी0 नम्बर– 23 दिनांक 10.01.2021 समय 14.16 बजे कागज संख्या– 6 क/6 व जी0डी0 नम्बर– 17 दिनांक 14.01.2021 समय 14.14 बजे कागज संख्या– 6 क/7 को देखकर साक्षी ने बताया कि वही जी0डी0 है, जिसे मैंने कम्प्यूटर आपरेटर से बोलकर टाइप कराया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर व थाने की मोहर लगी है जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। जिसपर कागज संख्या– 6 क/6 पर **प्रदर्श क–10** व कागज संख्या– 6 क/7 पर बने अपने हस्ताक्षर को मैं तसदीक करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। तत्पश्चात मेरा स्थानान्तरण हो गया।''

अपने प्रति परीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने कथन किया है कि," सिकरीगंज थाने में मेरी नियुक्ति कब से कब तक थी याद नहीं है। इस मुकदमें का वादी मुकदमा करिया चौकीदार मेरे थाना क्षेत्र बारीगांव का ही निवासी थी। यह मुकदमा मेरी उपस्थिति में दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के पूर्व मैंने तहरीर देखा था। प्रदर्श क–1 पर बने हस्ताक्षर एस0एच0ओ0 सूक्ष्म हस्ताक्षर मेरा है। तहरीर जब वादी मुकदमा थाने पर लाया तो मैं उससे यह नहीं पूछा कि तहरीर किससे लिखवाये हो। दौरान विवेचना

भी मैं यह जानने की कोशिश नहीं किया कि प्रदर्श क–1 किसने लिखा है। यह सही है कि प्रदर्श क–1 में वादी मुकदमा ने मात्र सोनू सिंह को ही अभियुक्त बनाया है। जब तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 02/21 दर्ज कर लिया गया उस समय मैं थाना कार्यालय में ही था। पत्रावली में शामिल का0सं0 6क/1 व 6क/2 में कालम सं0 14 में शिकायतकर्ता, सूचनाकर्ता या अंगूठे के निशान का भाग खाली है। का0सं0 6क/2 का कालम सं0–15 में अदालत में प्रेषण का दिनांक व समय भी खाली है।

यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा की तहरीर प्रदर्श क–1 मेरे तथा मेरे थाने में उपस्थित पुलिस बल के लोगों ने मिलकर लिखा तथा तैयार कराया जिसका मुख्य कारण कागज संख्या– 6 क/2 का कालम सं0– 14 व 15 खाली है।

केस डायरी का पर्चा नम्बर– 01 दिनांक 10.01.2021 को समय 11.00 बजे प्रारम्भ कर 15.30 बजे समाप्त किया। पर्चा नम्बर– 1 में ही घटना स्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया तथा इसी दिन वादी मुकदमा का बयान भी अंकित किया है। बयान मुल्जिम सोनू सिंह द्वारा ही पर्चा नंबर 01 में उमेश सिंह का नाम बताया था। बयान अभियुक्त सोनू सिहं द्वारा अपने बयान में उमेश सिंह द्वारा घटना कारित किये जाने का बयान नहीं बताया है। पर्चा नंबर 01 सी0ओ0 साहब को किस तारीख को मैंने प्रेषित किया यह मुझे याद नहीं है। केस डायरी के पर्चा नंबर 1 को देखकर भी यह नहीं बता सकता हूँ कि पर्चा नंबर 01 कब सी0ओ0 साहब को प्रेषित किया हूँ। वादी मुकदमा करिया द्वारा अपने तहरीर में कथित घटना देखना नहीं लिखवाया है। दिनांक 10.01.2021 को भी वादी ने घनटा को स्वयं द्वारा देखे जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे द्वारा नहीं की गयी है। पंचायतनामा की कार्यवाही उ0नि0 रमेश चन्द्र कुशवाहा द्वारा तैयार किया गया।

प्रश्न– दौरान विवेचना किसी भी साक्षी द्वारा जिनका बयान मैंने अपने केस डायरी में लिखा है अभियुक्त या अभियुक्तगणों द्वारा घटना कारित करते वक्त अपने आंखों द्वारा घटना देखने की बात नहीं बतायी है?

उत्तर– किसी भी साक्षी ने जिनका मैने बयान अपने केस डायरी में अंकित किया है किसी भी अभियुक्त द्वारा घटना कारित करते देखे जाने की बात नहीं बतायी है।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण व नक्शा नजरी बनाते समय किसी भी पब्लिक साक्षी द्वारा घटना को उपस्थित होकर देखने का स्थान नहीं अंकित किया है नहीं दर्शाया है। उ0नि0 रमेश चन्द्र कुशवाहा अभी नौकरी में हैं। प्रदर्श क–8 पर मेरा कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श क–8 का0सं0 15 क/5 क्षेत्राधिकारी खजनी महोदय द्वारा किस तारीख को तैयार कराया गया तथा किस तारीख को हस्ताक्षर किया गया दिन, महीना, साल अंकित नहीं है। क्षेत्राधिकारी योगेन्द्र कृष्ण नारायण अभी सेवा में है। धारा– 34 आई0पी0सी0 दाण्डिक धारा है या व्याख्या है, मुझे इस समय याद नहीं है।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त उमेश सिंह की नामजदगी गलत उद्देश्यों हेतु की गयी है।

इस साक्षी से अभियुक्त सोनू सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, तो साक्षी ने बयान किया कि नक्शा नजरी मैंने वादी मुकदमा के दिखाने पर बनाया था। एफआईआर के तुरंत बाद नक्शा नजरी तैयार किया था।

यह कहना गलत है कि वादी मुकदमा ने मुझे घटनास्थल नहीं दिखाया था और न ही वादी मुकदमा की उपस्थित में कोई नक्शा नजरी तैयार किया था।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए बरामदशुदा हथियार की परीक्षण रिपोर्ट थाने पर जब तक मैं तैनात था तब तक प्राप्त नहीं हुआ था।

इस घटना में ऐसा कई गवाह मुझे विवेचना के दौरान नहीं मिला जो बता सकता कि घटना कारित करते देखा है।

यह कहना गलत है कि मैं न तो घटनास्थल पर गया था और न ही किसी गवाह का बयान ही लिया था बल्कि थाने पर बैठकर पूरी केस डायरी स्वयं तैयार किया।''

अभियोजन साक्षी संख्या– 4 निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र दिनांक 22.04.2025 को पुनः मुख्य परीक्षा हेतु न्यायालय उपस्थित आये और सशपथ बयान किये कि, ''घटना में प्रयुक्त बरामद एक अदद आला कत्ल टांगी व एक अदद अभियुक्त का लोवर पैन्ट आज सील व दुरुस्त हालत में माननीय न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत हुआ जिसके कपड़े पर 11–सिरो–21 अ0सं0– 02/21 धारा 302,34 आई0पी0सी0, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर अंकित है व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पर्ची लगी है। माननीय न्यायालय की अनुमति से सील खोला गया सील कपड़े के अंदर से एक अदद आला कत्ल टांगी सील्ड कपड़े में निकली आला कत्ल टांगी के सील्ट कपड़े पर 11–सिरो–21 व धारा– 302,34 आई0पीसी, थाना– सिकरीगंज बनाम सोनू सिंह अंकित है व मेरे दिनांक 10.01.2021 सहित मेरे हस्ताक्षर बने है। माननीय न्यायालय की अनुमति से आला कत्ल टांगी के सील्ड कपड़े को खोला गया, तो साक्षी ने आला कत्ल टांगी को देखकर बताया कि यह वही आला कत्ल टांगी है, जिसे अभियुक्त सोनू सिंह ने बरामद करवाया था आलाकत्त टांगी को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही आला कत्ल टांगी है जिससे सोनू सिंह ने अपने भाई बालेन्द्र सिंह की हत्या किया था। उक्त बरामद आला कत्ल टांगी को मैं तस्दीक करता हूं। जिसपर **वस्तु प्रदर्श– 5** डाला गया। आला कत्ल टांगी के कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श– 6** डाला गया। आला कत्ल टांगी को मैं तस्दीक करता हूं। अभियुक्त का एक अदद लोवर पैन्ट आज सील या दुरुस्त हालत में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसके कपड़े पर एक अदद लोवर अभियुक्त सोनू सिंह सम्बन्धित अ0सं0– 02/21, धारा– 302,34 आई0पी0सी0 व मेरे दिनांक सहित हस्ताक्षर बने है माननीय न्यायालय की अनुमति से सील खोला गया तो उसमें से निकले अभियुक्त के लोवर पैन्ट को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही लोवर पैन्ट है जिसपर मृतक के खून लगे थे जिसे मेरे द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया था जिसे मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर **वस्तु प्रदर्श– 7** डाला गया व उसके सील्ड कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श– 8** डाला गया और सील्ड कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श– 9** डाला गया।''

अपने प्रति परीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने कथन किया है कि, ''घटना में प्रयुक्त आला कत्ल टांगी और लोवर पैन्ट घटना के अगले दिन बरामद किए थे। घटना 9/10 की रात्रि की है। कितने बजे रात्रि की है समय नहीं बता सकता। घटना में प्रयुक्त टांगी और लोवर पैन्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मेरे हस्ताक्षर से जांच हेतु भेजा गया था। किस तिथि में भेजा गया मुझे याद नहीं है। यह जो मैंने बरामदशुदा टांगी आज

कोर्ट में पेश किया है। उस पर मु0अ0सं0 बनाम अभियुक्त का नाम सोनू सिंह अंकित किया गया था जो वर्तमान समय पुराना होने के कारण दिखायी नहीं दे रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश से माननीय न्यायालय के समक्ष आज लोवर का सील मोहर खोला गया। आला कत्ल टांगी और लोवर पैन्ट जो जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। वह वह मेरी नियुक्ति रहते हुए नहीं आयी थी। इसके पहले मेरा मुख्य बयान न्यायालय में दिनांक 30.07.2024 को हुआ था। उसके बाद दिनांक 06.08.2024 को जिरह भी पूर्ण हो चुकी है। पुनः बयान देने मै माननीय न्यायालय के आदेश से आया हूं।

यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त से टांगी और लोवर पैन्ट कभी बरामद नहीं किया था बल्कि अपने मन से इसको इस मामले में शामिल कर दिया। मैं यह नहीं बता सकता कि इस प्रकार की टांगी गांव में हर घर में प्रायः उपलब्ध रहता है। यह सही है कि यह पहना हुआ लोवर पैन्ट मैं उससे निकलवा कर लिया हूं। फर्द बरामदगी को देखकर व पढ़कर साक्षी ने बताया उसके घऱ में रखा दूसरा लोवर पहनाया गया। यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त से पहना हुआ कोई लोवर प्राप्त नहीं किया था। यह कहना गलत है कि बरामदशुदा टांगी व लोवर मैंने बाद मे तैयार कर मुकदमें को गंभीर बनाने के लिए फर्द तैयार किया और झूठी बरामदगी दिखायी। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिम सोनू सिंह द्वारा कथित घटना मे टांगी का प्रयोग नहीं किया था बल्कि साजिश के तहत अज्ञात घटना की तहरीर हम लोगों ने तैयार करायी और उसी परिप्रेक्ष्य में गलत कार्यवाही/विवेचना की।''

21. **अभियोजन साक्षी संख्या– 5 उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र कुशवाहा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, ''दिनांक 10.01.2021 को मैं बतौर उ0नि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर पर तैनात था। उस दिन मृतक बालेन्द्र सिंह पुत्र नित्यानन्द सिंह निवासी बारीगांव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर उम्र लगभग 46 वर्ष के शव का पंचायतनामा दिनांक 10.01.2021 को मेरे द्वारा बहवाले रपट नंबर 15 दिनांक 10.01.2021 समय 10.51 बजे सूचना पाकर पहुंचकर

पंचानन कि नियुक्ति कर मेरे द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी। जिसके संबंध में वादी मुकदमा चौकीदार करिया पुत्र बितानू की सूचना पर मु0अ0सं0– 02/21 धारा– 302 आई0पी0सी0 बनाम सोनू सिंह पंजीकृत हुआ। पंचायतनामा पत्रावली में शामिल का0सं0 10 क/1 व 10 क/2 पंचायतनामा मूल को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही पंचायतनामा है जिसे दिनांक 10.01.2021 को पंचानन कि नियुक्ति कर पंचायतनामा मैं अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जिसपर अन्य पंचों के साथ मेरे भी दिनांक 10.01.2021 सहित हस्ताक्षर बने है व थाने की मोहर लगी है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर को तसदीक करता हूं जिसपर पूर्व में **प्रदर्श क–2** डाला जा चुका है। पत्रावली में शामिल का0सं0 9क/1 चिट्ठी आरआई, 9क/2 चिट्ठी सीएमओ व 11 क पुलिस फार्म 13 व 12क फोटोनाश को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही प्रपत्र हैं जिसे मैंने पंचायतनामा के समय दिनांक 10.01.2021 को मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जिसपर थाने की मोहर लगी है। सभी प्रपत्र पर बने अपने लेख व हस्ताक्षर क मैं तस्दीक करता हूँ। जिसपर क्रमशः 9 क/1 चिट्ठी आरआई पर **प्रदर्श क–12**, 9क/2 चिट्ठी सीएमओ पर **प्रदर्श क–13** व 11 क पुलिस फार्म 13 पर **प्रदर्श क–14** व 12क फोटोनाश पर **प्रदर्श क–15** डाला गया। फर्द बरामदगी खूनालूद मिट्टी व सादी मिट्टी मृतक बालेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नित्यानन्द सिंह निवासी बारीगांव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर संबंधित मु0अ0सं0 02/21 धारा 302 आईपीसी पत्रावली में संलग्न का0सं0 7क/3 है दिनांक 10.01.2021 को मैं हत्या की सूचना पर ग्राम बारीगांव घटनास्थल मृतक बालेन्द्र के घर पहुंचा। कुछ समय बाद वहां प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र मय हमराही जिल्द पंचायतनामा के साथ व अन्य कागजात के साथ मौके पर आ गये। जनता से पंचानन कि नियुक्ति कर पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर बाद पंचायतनामा मृतक का खून जमीन पर पड़ा था। जिससे खूनालूद मिट्टी व घटनास्थल से सादी मिट्टी को अलग–अलग लोहा/टिन के डिब्बे में लेकर रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। समक्ष गवाहान रामबुझारत यादव व राजीव सिंह की मौजूदगी में खूनालूद मिट्टी व सादी मिट्टी को संग्रहित किया गया और फर्द पर संबंधित गवाहान के भी हस्ताक्षर भी बनाए गये।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

पत्रावली में शामिल का0सं0 7क/3 फर्द बरामदगी खूनालूद मिट्टी व सादी मिट्टी पर बने अपने दिनांक 10.01.2021 सहित लेख व हस्ताक्षर को मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया। उक्त फर्द मूल की ही प्रमाणित प्रति है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। घटनास्थल से लिया गया खूनालूद मिट्टी व सादी मिट्टी आज सील व दुरुस्त हालत में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। माननीय न्यायालय की अनुमति से सील खोला गया कपड़े पर खूनालूद मिट्टी व मृतक बालेन्द्र सिंह मु0अ0सं0– 02/21 धारा– 302 आई0पी0सी0 थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर दोनों डिब्बों पर अंकित है व दोनों डिब्बों पर मेरे दिनांक 10.01.2021 सहित हस्ताक्षर बने है व दोनों डिब्बों पर 11–सिरो– 2021/41 अंकित है। माननीय न्यायालय की अनुमति से सील खोला गया तो खूनालूद मिट्टी को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही खूनालूद मिट्टी है जिसे मैंने घटनास्थल से लिया था। जिसे मैं तस्दीक करता हूं। खूनालूद मिट्टी **वस्तु प्रदर्श– 1** व कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श– 2** डाला गया। सादी मिट्टी वाले डिब्बे को भी माननीय न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो साक्षी ने देखकर बताया कि यह वही सादी मिट्टी है जिस मैंने घटनास्थल से लिया था जिसपर **वस्तु प्रदर्श– 3** डाला गया व सादी मिट्टी के सील कपड़ें पर **वस्तु प्रदर्श– 4** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

अपने प्रति परीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने कथन किया है कि,''सिकरीगंज थाने पर मेरी तैनाती अप्रैल, 2020 से रही है। थानाध्यक्ष सिकरीगंज की नियुक्ति थाना– सिकरीगंज में हमारे बाद हुई थी। प्रदर्श क– 2 पुलिस प्रपत्र संख्या– 211 का कागज संख्या– 10 क/1 कार्बन प्रति है। कागज संख्या– 10 क/1 में वह स्थान जिसमे जांच करने वाला अधिकारी गया हो ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज अंकित है। मृतक बालेन्द्र सिंह की मृत्यु की सूचना थाने पर दिनांक 10.01.2021 को मिली थी। दिनांक 10.01.2021 को 10:51 बजे पंचायतनामा की कार्यवाही नहीं शुरू की है। इस समय मुझे सूचना मिली थी। 20 मिनट बाद मैने पंचायतनामा की कार्यवाही शुरू की थी। 12:30 बजे पंचायतनामा की कार्यवाही समाप्त हो गयी थी। कागज संख्या– 10 क/1 में प्रदर्श क– 2 में मृतक का बाडी उपलब्ध न होने के कारण

पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। यह पेन से अंकित कर सूक्ष्म हस्ताक्षर बने है। सूक्ष्म हस्ताक्षर के नीचे समय 04:30 पी0एम0 10.01.2021 अंकित है। पंचायतनामा भरने के साथ मैने कुल 06 वर्क मैने तैयार किया था। जब मैं समस्त पेपर पंचायतनामा लगायत तैयार कर रहा था, तो उस समय मेरे साथ मेरे थाना– प्रभारी भी उपस्थित थे। थाना– प्रभारी द्वारा पंचायतनामा के साथ अन्य प्रपत्र जो मैं तैयार किया वह थानाध्यक्ष महोदय क्यो नही तैयार किया, उसका कारण मैं नहीं बता सकता। मेरे थाने के प्रभारी और अधीनस्थ के सुपर बॉस थाना– प्रभारी होते हैं। उन्हीं के आदेश निर्देश से हम लोग काम करते हैं। यह कहना गलत है कि मैने थाना– प्रभारी के आदेश निर्देश में सही कार्यवाही नहीं किया।

मैं क्षेत्र में कार्य सरकार कर रहा था कि थाना कार्यालय से इस घटना की सूचना मिली। पंचायतनामा शुरू करने से 20 मिनट पहले इस घटना की सूचना मिली। पंचायतनामा कितने बजे मैने शुरू किया, नहीं बता सकता। पंचायतनामा भरने में लगभग डेढ़ घंटे का समय लगा था। पंचायतनामा के गवाह पंचायतनामा शुरू करने के समय मौके पर मौजूद थे। पंचायतनामा के गवाह योगेन्द्र सिंह भी घटना स्थल पर मौजूद थे। यह कहना गलत है कि गवाह योगेन्द्र सिंह पंचायतनामा की कार्यवाही के समय मौजूद नहीं थे। सीलबन्द लोहे का डिब्बा जिसको न्यायालय के समक्ष खोला गया है, उसमे लगे कपड़े पर केवल स्केच सादी शब्द लिखा हुआ स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है। बाकी क्या लिखा है भीग जाने के कारण कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिस डिब्बे में मिट्टी रखी हुई है, उस पर भी कुछ नहीं लिखा है। जिस डिब्बे में मिट्टी रखी गयी है, उस डिब्बे को देखने से यह नहीं बताया जा सकता है कि किस मुकदमे के सम्बन्ध में बरामदशुदा सादी मिट्टी रखी हुई है। जिस लोहे के डिब्बे में खूनालूदा मिट्टी रखी हुई है, उसके उपर लगे कपड़े पर खूनालूदा मिट्टी मृतक के बाद व्हाइटनर लगा कर बालेन्द्र सिंह लिखा हुआ है। सील मोहर कपड़ा व खूनालूदा मिट्टी वाले डिब्बे पर काफी जंग लगा हुआ है। यह कहना गलत है कि मैने मौके से मृतक बालेन्द्र सिंह का ना तो खूनालूदा मिट्टी और न सादी मिट्टी बरामद किया था। यह भी कहना गलत है कि मैने थाने पर बैठकर पंचायतनामा की कार्यवाही पूरी की और मौके पर कभी नहीं गया। यह

भी कहना गलत है कि मैने पंचायतनामे के गवाहो का पुलिस प्रपत्र संख्या– 211 के सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराया और बहुत बाद को मनमानी तरीके से पंचनामा पेपर को भर दिया। यह भी कहना गलत है कि मैने गवाहों को पंचायतनामा में क्या लिखा है, पढ़कर नहीं सुनाया था।''

22. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत एवं परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या– 06 डाक्टर सतेन्द्र कुमार** इस आपराधिक प्रकरण के मृतक का पोस्टमार्टम परीक्षण करने वाले चिकित्सक है। इस साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि,''दिनांक 11.01.2021 को मैं बतौर मेडिकल ऑफिसर सी0एच0सी0 पिपरौली, जनपद– गोरखपुर पर तैनात था। संस्था का नाम बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर शव विच्छेदन आख्या संख्या– 61 शव को एस0ओ0 सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर द्वारा सील इटैक्ट हालत में पी0एम0 हेतु भेजा गया था। शव के साथ कुल 10 प्रपत्र प्राप्त हुए थे। शव विच्छेदन दिनांक 11.01.2021 को 02:00 पी0एम0 पर शुरू कर उसी दिन 02:20 पी0एम0 पर पूर्ण हुआ। शव को कांस्टेबल विनय सिंह व कांस्टेबल भानु प्रताप मौर्य थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर द्वारा लाया गया था और उक्त कां0 द्वारा मृतक की पहचान बालेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नित्यानन्द सिंह, निवासी– बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर उम्र लगभग 46 वर्ष पुरूष के रूप में की गई थी।

बाह्य परीक्षण

मृतक मध्यम व औसत कद काठी का था।

मृत्यु पश्चात अकडन RM Upper and lower Present आँख और मुँह बन्द थे।

Antemortem Injury

1. In Cised Wound on Front of Neck Sized of 8 X .2 CM Muscle depth हल्का दाहिने तरफ

2. In Cised Wound चिन के नीचे जिसकी साइज 7 X 2 CM है, जो मसल डीप 1 CM है।

3. In Cised Wound फोरहेड पर थी, जिसकी साइज 4 X 1 CM, जो राइट आइब्रो के 4 CM उपर मौजूद है। मसल डेफ्थ .1 CM था।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

4. In Cised Wound जो (लेफ्ट साइड आफ हेड) जो सिर के बाए तरफ है, जिसकी साइज 3 X 1 CM है, जो बोन डीप है, जो बाएं आइब्रो के 1 CM उपर है, जिसमें स्कल काटने पर हेमाटोमा ब्रेन प्रेजेन्ट था।

5. In Cised Wound बाएं कान के पिन्ना पर मौजूद था, जिसकी साइज 7 X 1 CM थी, जो Muscle deep थी।

6. In Cised Wound लेफ्ट साइड ऑफ पेराइटल बोन ऑफ स्कल साइज ऑफ 6 X 1 CM बोन डेफ्थ जो 3 CM बाएं कान के उपर थी। स्कल काटने पर हेमाटोमा ब्रेन प्रेजेन्ट और बोन फ्रैक्चर था।

7. कन्टयूज्ड स्वेलिंग राइट लोअर लिम्ब आल अराउण्ड 4 CM Above राइट एंकल आन कटिंग स्किन बोथ बोन टिबिया एण्ड फिबुला फ्रैक्चर

आन्तरिक परीक्षण

मस्तिष्क का वजन 1000 ग्राम दाहिने फेफड़े का वजन 400 ग्राम और बाएं का 350 ग्राम हृदय का वजन 200 ग्राम हाफ फुल आमाशय में फ्लूड प्रेजेन्ट छोटी आँत खाली, बड़ी आँत में फीकल और गैस मौजूद थी। यकृत का वजन 1200 ग्राम प्लीटा का वजन 200 ग्राम दाहिने गुर्दे का वजन 110 ग्राम और बाएं का 100 ग्राम।

मृत्यु का सम्भावित समय– अबाउट वन डे।

मृत्यु का कारण– एण्टीमार्टम एन्जरी डयू टू कोमा।

पी0एम0 रिपोर्ट 03 प्रति में तैयार कर दो सील बन्द लिफाफे में मय 09 प्रपत्र मय शव सम्बन्धित कांस्टेबल विनय सिंह, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर को सुपुर्द किया। पी0एम0 रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं व सम्बन्धित कांस्टेबल के भी हस्ताक्षर बने हैं। पत्रावली में शामिल कागज संख्या– 13 क पी0एम0 रिपोर्ट मूल को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही पी0एम0 रिपोर्ट है, जिसे दिनांक 11.01.2021 को मैने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर को तसदीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क– 16** डाला गया। मृतक की मृत्यु दिनांक 09/10.01.2021 की रात्रि की भी हो सकती है। मृतक के शरीर पर आयी चोटे टांगी की भी हो सकती हैं।''

अपनी प्रति परीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने कथन किया है कि,''दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा मृतक बालेन्द्र सिंह का पोस्टमार्टम दोपहर 02:00 पी0एम0 पर किया गया था। मृतक की हत्या दिनांक 10.01.2021 के दोपहर की भी हो सकती है। सर्दी के मौसम में 05–06 घण्टा ईधर–उधर हो सकता है। यह बात राईगर मार्टिज के आने व जाने के आधार पर बताया जा रहा है।

पोस्टमार्टम करते समय मुझे पुलिस द्वारा 10 अभियोजन प्रपत्र दिये गये थे। जिसमे एफ0आई0आर0 भी थी। पोस्टमार्टम करते समय मैने एफ0आई0आर0 पढ़ा था। 6

क/01 व 6 क/12 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली में संलग्न 6 क/04 प्रथम सूचना रिपोर्ट पर मेरे सुक्ष्म हस्ताक्षर है। प्रथम सूचना रिपार्ट पर टांगी से मार कर हत्या कर दिया लिखा है। आज मेरे सामने कोई हथियार नहीं है, जिसको देखकर मैं यह सही–सही बता सकू कि उक्त हथियार से ही मृतक को चोटे पहुँचायी गयी है। पी0एम0 करते समय भी मेरे सामने कोई हथियार नहीं भेजी गयी थी। मेरे पास टांगी या कोई हथियार नहीं भेजा गया था, जिससे मैं उक्त टांगी या हथियार से मारना उल्लिखित करता हूँ। टांगी भी एक हैवी कटिंग विपैन है। गड़ासा, कुदार, दाव, खन्ती आदि भी हैवी विपेन है। इसमे से किस हथियार की चोट हो सकती है, मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि अभियोजन साक्षी होने के नाते मैने मुकदमे को गम्भीर बनाने के लिए टांगी से चोट आना बताया है।''

23. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत एवं परीक्षित **अभियोजन साक्षी संख्या– 07 एस0आई0 राजाराम द्विवेदी** इस आपराधिक प्रकरण के मृतक का पोस्टमार्टम परीक्षण करने वाले चिकित्सक है। इस साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि,''दिनांक 22.01.2021 को मैं बतौर थानाध्यक्ष थाना– सिकरीगंज, गोरखपुर पर तैनात था। उस दिन मुकदमा अ0सं0– 2/21, धारा– 302 भा0दं0सं0 वादी करिया बनाम सोनू सिंह, थाना– सिकरीगंज, गोरखपुर की विवेचना पूर्व विवेचक के स्थानान्तरण के पश्चात् मुझ विवेचक द्वारा ग्रहण की गयी। दिनांक 22.01.2021 को केस डायरी का पर्चा संख्या– 6 किता किया। जिसमें पूर्व किता किए गये पर्चे पर्चा नं0– 1 लगायत 5 का अवलोकन कर उसका सूक्ष्म अंकन केस डायरी में किया। तत् पश्चात् अभियुक्त के रिमाण्ड की माननीय न्यायालय से याचना की गई। जिसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 27.01.2021 को केस डायरी का पर्चा नं0– 7 किता किया। जिसमें गिरफ्तारी व बरामदगी के गवाह कांस्टेबल विक्रम प्रताप सिंह व फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के गवाह हेड कांस्टेबल रामधारी यादव व बयान चालक व गिरफ्तारी के गवाह हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार यादव, कांस्टेबल मोनू यादव, कां0 हरिद्वार यादव का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। उसी दिन अभियुक्त के रिमाण्ड की याचना की गई, जिसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 30.01.2021 को केस डायरी का पर्चा नं0– 8 किता किया। जिसमे बयान आरक्षी विनय सिंह लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। उसी दिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिसीविंग का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला का डाकेट पत्रावली में संलग्न कागज संख्या– 15 क/05 व 15 क/06 है। जिस पर पूर्व में प्रदर्श क– 8 डाला जा चुका है, जिसको देखकर साक्षी ने बताया कि इसी डाकेट का अवलोकन कर मेरे द्वारा केस डायरी में अंकन किया गया। उसी दिन मृतक की पत्नी मुन्नी देवी का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 05.02.2021

को केस डायरी का पर्चा नं0– 9 किता किया, जिसमें अभियुक्त सोनू सिंह के रिमाण्ड की माननीय न्यायालय से याचना की गयी, जिसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 09.02.2021 को केस डायरी का पर्चा नं0– 10 किता किया गया, जिसमे मजीद बयान पंचायतनामा कर्ता एस0आई0 रमेश चन्द कुशवाहा व मजीद बयान हेड कांस्टेबल विनय सिंह का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया व उसी दिन फर्द के गवाह राम बुझारत यादव व राजू सिंह का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 19.02.2021 को केस डायरी का पर्चा नं0– 11 किता किया व दिनांक 04.03.2021 को केस डायरी का पर्चा नं0– 12 किता किया। उक्त दोनो पर्चो में अभियुक्त के रिमाण्ड की याचना की गयी, जिसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 05.03.2021 को केस डायरी का पर्चा नं0– 13 किता किया, जिसमें पी0एम0 कर्ता डा0 सत्येन्द्र कुमार का बयान लेकर उसका अंकन केस डायरी में किया। दिनांक 07.03.2021 को केस डायरी का पर्चा नं0– 14 किता किया। गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त उमेश सिंह पत्रावली में संलग्न कागज संख्या– 16 क/3 पर बने निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र के हस्ताक्षर बने है। मैं उनको लिखते पढ़ते देखा हूॅ। उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क– 17** डाला गया। दिनांक 07.03.2021 को केस डायरी का पर्चा नं0– 14 किता किया गया, जिसमे अभी तक की तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल अवलोकन फर्द बरामदगी व पंचायतनामा व पी0एम0 रिपोर्ट से अभियुक्तगण सोनू सिंह पुत्र स्व0 नित्यानन्द सिंह व उमेश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह, निवासी– ग्राम बारीगाँव, थाना– सिकरीगंज, गोरखपुर के विरूद्ध जुर्म धारा– 302/34 भा0दं0सं0 का अपराध बखूबी साबित होने पर आरोप–पत्र संख्या– A 27/21 दिनांक 07.03.2021 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट बाद में जरिए एस0सी0डी0 प्रेषित की जायेगी, जिसका अंकन केस डायरी में किया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या– 3 क/01 लगायत 3 क/06 आरोप–पत्र मूल अ0सं0– 2/21, धारा– 302 भा0दं0सं0, थाना– सिकरीगंज, गोरखपुर वादी करिया बनाम सोनू सिंह वगै0 के आरोप–पत्र को देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही आरोप–पत्र है, जिसे मैने दिनांक 07.03.2021 को कम्प्यूटर आपरेटर को बोलकर टाईप कराकर तैयार कर आरोप–पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। आरोप–पत्र पर थाने की मोहर लगी है व मेरे दिनांक सहित हस्ताक्षर बने हैं, जिसे मैं तसदीक करता हूॅ। जिस पर प्रदर्श क– 18 डाला गया।''

अपने प्रति परीक्षा में उपरोक्त साक्षी ने कथन किया है कि,''मैं पर्चे का अवलोकन मैने केस डायरी का अवलोकन किया था। दौरान अवलोकन किसी भी पब्लिक साक्षी द्वारा उमेश सिंह को कथित घटना के समय घटना कारित करने की बात नहीं बताई। मेरे द्वारा की गयी पूरी विवेचना में किसी भी पब्लिक के साक्षी या अन्य कोई भी साक्षी यह

नहीं बताया है कि उमेश सिंह द्वारा कथित घटना कारित करते समय मैने देखा है और किसी भी साक्षी ने यह भी नहीं बताया है कि उमेश सिंह कथित घटना के समय दिन या स्थान पर उपस्थित थे। दौरान विवेचना उमेश सिंह के पास से कथित घटना की संदिग्ध वस्तु उमेश सिंह के पास से मेरे द्वारा बरामद नहीं की गई थी। प्रदर्श क– 17 में मैने केवल विवेचक व सिपाहियों के हस्ताक्षर को साबित किया है। यह गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क– 17 कब और कहाँ भरा गया था, मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उमेश सिंह के विरोधियों के साजिश में होकर मैने इस मुकदमे की निष्पक्ष विवेचना न करके उमेश सिंह के विरूद्ध गलत आरोप–पत्र प्रेषित किया है।

मैं थाना– सिकरीगंज में लगभग 6 महीने कार्य किया था। इस मुकदमें की विवेचना मुझको दिनांक 22.01.2021 को पूर्व विवेचक उपेन्द्र मिश्र से मिला था। मैने इस मुकदमे के सभी गवाहन से मैं व्यक्तिगत रूप से बयान लिया था। मेरे द्वारा जिन लोगो के बयान अंकित किए गए है, उसमे से किसी के द्वारा भी अपनी आँखो से घटना का देखा जाना नहीं कहा गया है। यह घटना रात के अन्धेरे में घटित हुई थी। इस घटना की सूचना चौकीदार ग्राम सभा के चौकीदार द्वारा थाने पर दिया गया था। इस सम्बन्ध में मैने कोई जांच नहीं किया था कि अभियुक्त सोनू सिंह व मृतक के बीच किसी भी प्रकार का हिस्से व रूपये को लेकर विवाद था। अज खुद कहा कि विवेचना के दौरान गवाहो द्वारा हिस्सा बंटवारा सम्बन्धी विवाद होने की बात कही गयी। मैं बतौर थानाध्यक्ष सिकरीगंज पूर्व विवेचक उपेन्द्र मिश्र के स्थानान्तरण के बाद ही थाना– सिकरीगंज में आया था। मेरे द्वारा इस हत्या में प्रयुक्त कोई असलहा या वस्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए नहीं भेजा गया था। मैने अभियुक्त व मृतक के बीच इस तरह की रूपये की लेन–देन को लेकर यह घटना कारित किया गया था, मैने जांच नहीं किया था। मैं दरोगा उपेन्द्र मिश्र के साथ किसी थाने पर तैनात नहीं था। अज खुद कहा मैं जनपदीय स्तर पर उनके साथ कार्य किया हूॅ। तिथि याद नहीं है। क्राईम मीटिंग में तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के–––के दौरान उनके लेख व हस्ताक्षरे देखे है। यह कहना गलत है कि मैने निरीक्षक उपेन्द्र मिश्र को लिखते पढ़ते ना तो क्राईम मीटिंग में देखा हूॅ, ना तो कभी बाद में देखा हूँ। यह कहना गलत है कि अभियुक्त सोनू सिंह व मृतक के बीच हिस्से व रूपये का कोई विवाद नहीं था। पूर्व विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के दौरान एक भूमि विक्रय से प्राप्त पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद होना व घटना होने के बाद प्रकाश में आया। यह सही है कि मैने विवेचक को साक्ष्य संकलन में आधार पर पैसे व बंटवारे की बात घटना कारित होना बताया है। मैने अलग से जमीन के बंटवारे व पैसे को लेकर विवाद की जांच नहीं किया। यह कहना गलत है कि मैने जब से विवेचना प्राप्त किया किसी भी प्रकार की जांच नहीं किया, बल्कि पूर्व विवेचक के विवेचना के क्रम में आरोप–पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया।''

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

24. अभियुक्तगण सोनू सिंह व उमेश सिंह का बयान अन्तर्गत धारा– 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में कथन किया कि गलत है, गलत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साक्षियों द्वारा गलत कथन किया जाना कहा है। अभियुक्त उमेश सिंह द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वह न तो बालेन्द्र सिंह मृतक का सगा भाई है और न ही अभियुक्त सोनू सिंह का सगा या चचेरा भाई है। साक्षी द्वारा इसके सम्बन्ध में गलत सूचना दी गई है। यह भी कथन किया गया है कि यह अपनी वृद्ध माता के साथ रहता है। इसकी जमीन मुकदमा में फंसाकर हड़पने या बैनामा कराने के उद्देश्य से साजिश के तहत अभियुक्त बना दिया गया है। रंजिशन मुकदमा चलाये जाने का भी कथन किया है तथा अभियुक्त सोनू सिंह ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

25. मौखिक साक्षियों के बयानो के अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्यो एवं वस्तु प्रदर्श का विवरण एवं विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

(क) प्रदर्श क– 1 लिखित तहरीर है, जिसे अभियोजन साक्षी संख्या– 01 करिया चौकीदार द्वारा साबित किया गया है। प्रदर्श क– 1 तहरीर के कथन प्रस्तर 02 में अंकित हैं, अतः इसकी पुनरावृत्ती नहीं की जा रही है।

(ख) प्रदर्श क– 2 पंचायतनामा है, पंचायतनामा दिनांकित 10.01.2021 को अंकित किया गया। पंचायतनामा के अनुसार ग्राम चौकीदार करिया पुत्र बितानू द्वारा शव मिलने की सूचना थाने पर दी गयी। सूचना में मृतक के भाई सोनू सिंह द्वारा कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर देने की दी गयी थी। पंचायतनामा समय 12.30 पर समाप्त हुआ। पंचायतनामा में क्रमशः राकेश सिंह पुत्र गंगा सिंह, जोगेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र बहादुर सिंह, राजीव सिंह पुत्र स्व0 सत्य प्रकाश सिंह, नूरूल हक पुत्र स्व0 सरदार अहमद एवं रामबूझारत यादव पुत्र श्री राम प्रकट को पंचान नियुक्त किया गया। दशा शव में मृतक का शव घर के बरामदे में चित अवस्था में जमीन पर पड़ा पाया गया। मृतक के शरीर पर कुर्ता फुल बाजू कत्थई रंग का लोवर हल्का आसमानी रंग का लक्स वीनस अन्डर वीयर हल्के पीले रंग का, नेकर हाफ नीले रंग का स्वेटर स्लेटी फुल बाजू दो इनर स्लेटी रंग का फुल बाजू एक सफेद रंग बनियान शरीर पर पहना पाया गया। पंचगणो ने सभी ने अलग–अलग व सामुहिक रूप से मृतक उपरोक्त को उसके सगे भाई सोनू सिंह द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देना बता रहे हैं। उपनिरीक्षक की राय पंचानो की राय से मेल खाती है। फिर भी मृत्यु का वास्तविक कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

(ग) प्रदर्श क– 3 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क– 4 मुकदमा कायमी की जी0डी0 है, जिसे तहरीर प्रदर्श क– 1 के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में थाने में सूचना देने का समय 10:51 दिनांक 10.01.2021 अंकित है।

(घ) प्रदर्श क– 5 घटना स्थल का नक्शा–नजरी है, जिसमे ए स्थान पर मृतक बालेन्द्र सिंह के शव को बरामदे में रखा होना दर्शाया है। बी स्थान वह जहॉ से आला कत्ल बरामद हुआ है। घटना स्थल के उत्तर दिशा में सूर्य प्रकाश सिंह के खपरैल का मकान व डब्लू सिंह का पक्का मकान को, पूरब दिशा में दयानन्द सिंह का पक्का मकान को, पश्चिम में लल्लू सिंह के मकान को, दक्षिण दिशा में अभियुक्त सोनू सिंह के मकान को बी संकेत से दर्शाया गया है, जहॉ से आला कत्ल बरामद हुआ है। शेष आस–पास की यथास्थिति को मौके पर नक्शा–नजरी में दर्शाया गया है। नक्शा–नजरी में Latitude 26.549588 एवं Longitude 83.172164 अंकित है।

(ड़) प्रदर्श क– 6 फर्द बरामदगी आला कत्ल टांगी है। इस फर्द बरामदगी में यह अंकित किया गया है कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिलने पर हत्या के अभियुक्त सोनू सिंह को हमराह द्वारा जाकर तिराहे पर मुखबिर के बताने पर मुखबिर को रूखसत कर अभियुक्त सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसकी जामा तलाशी में पांच सौ रूपये बरामद हुए। फर्द बरामदगी में यह भी अंकित है कि अभियुक्त ने अपने हिस्से की जमीन का बैनामा करने के पैसे के बंटवारे को लेकर भाई बालेन्द्र सिंह से विवाद होने पर उसकी हत्या करने का कथन किया गया है। यह भी कथन किया गया है कि टांगी से गले पर वार कर हत्या करने में जो खून निकला है, वह मेरे पैन्ट में लग गया है। पूछ–ताछ में यह भी बताया कि टांगी घर पर छिपाकर रखा हूॅ। अभियुक्त के घर से टांगी की बरामदगी अभियुक्त की निशानदेही पर करने एवं बरामद टांगी व पहने हुए लोवर को सील मोहर करने का भी तथ्य अंकित है। गवाही के लिए इक्ठठे व्यक्तियों में से कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द पर अभियुक्त सोनू सिंह के निशान अंगूठा, कां0 रामधारी यादव, कां0 विक्रम प्रताप सिंह व प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र के अपठनीय हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। इस प्रकार से फर्द बरामदगी में कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है।

(च) प्रदर्श क– 7 आला कत्ल टांगी का बरामदगी स्थल है, जिसमे ए स्थान से आला कत्ल टांगी की बरामदगी किया जाना अंकित है। प्रदर्श क– 8 निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला को आला कत्ल टांगी, अभियुक्त का पहना हुआ लोवर, घटना स्थल से बरामद सादी मिट्टी व खूनालूदा मिट्टी को जांच हेतु भेजने का प्रपत्र है। पत्र में दो प्रश्न पूछे गये थे–

प्रथम– बरामद आला कत्ल व अभियुक्त के पहने हुए कपड़े पर क्या मानव रक्त है?

द्वितीय– घटना स्थल से बरामद सादी मिट्टी व खूनालूदा मिट्टी, आला कत्ल व अभियुक्त के पहने हुए लोवर पर लगे खून के धब्बे क्या एक ही व्यक्ति के हैं?

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

(छ) प्रदर्श क– 9 गिरफ्तारी प्रपत्र है, जिसमे अभियुक्त के छोटे भाई दीप नारायन उर्फ इन्स्पेक्टर सिंह को जरिये दूरभास 9554230766 द्वारा सूचना दिया जाना अंकित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 10.01.2021 को समय 12:30 बजे स्थान दुधरा तिराहा से भी किया जाना अंकित है। प्रदर्श क– 10 जी0डी0 फर्द बरामदगी है। प्रदर्श क– 11 जी0डी0 गिरफ्तारी सह–अभियुक्त उमेश सिंह है व प्रदर्श क– 12 मृतक को पोस्टमार्टम हेतु चिट्ठी आर0आई0, प्रदर्श क– 13 चिट्ठी सी0एम0ओ0, प्रदर्श क– 14 पुलिस फार्म, प्रदर्श क– 15 फोटोनाश है, प्रदर्श क– 16 फर्द बरामदगी खूनालूदा मिट्टी व सादी मिट्टी है, जिसे दिनांक 10.01.2021 को उपनिरीक्षक रमेश चन्द कुशवाहा द्वारा ग्राम बारीगाँव में पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण करने के बाद लेकर अलग–अलग डिब्बो में सील मोहर किया गया।

(ज) पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी प्रदर्श क– 16 ही अंकित किया गया था, जिसे आदेश दिनांकित 08.12.2025 के द्वारा 16 ए पढ़ा जाना न्यायसंगत होने आदेश मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया है। अतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क– 16 ए पढ़ा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर 07 चोटे पायी गयी, जिसका विवरण अभियोजन साक्षी संख्या– 06 डाक्टर सतेन्द्र कुमार के बयान में अंकित किया जा चुका है। पोस्टमार्टम 11.01.2021 को किया गया था एवं मृत्यु का सम्भावित समय एक दिन पूर्व दर्शाया गया है। प्रदर्श क– 17 अभियुक्त उमेश सिंह का गिरफ्तारी प्रपत्र है। प्रदर्श क– 18 आरोप–पत्र है, जिसमे विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त सोनू सिंह व उमेश सिंह के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने का कथन है।

(झ) अभियोजन द्वारा वस्तु प्रदर्श के रूप मे वस्तु प्रदर्श– 1 खूनालूदा मिट्टी, वस्तु प्रदर्श– 2 कपड़ा, वस्तु प्रदर्श– 3 सादी मिट्टी, वस्तु प्रदर्श–4 कपड़ा, वस्तु प्रदर्श– 5 आला कत्ल टांगी, वस्तु प्रदर्श– 6 आला कत्ल टांगी का कपड़ा, वस्तु प्रदर्श– 7 अभियुक्त सोनू सिंह का लोवर, वस्तु प्रदर्श– 8 सील कपड़ा, वस्तु प्रदर्श– 9 सील कपड़ा प्रस्तुत कर अभियोजन साक्षियो से साबित कराया गया है।

(ञ) विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित 08.08.2024 प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार अपराध संख्या– 02/2021, थाना– सिकरीगंज से सम्बन्धित प्रपत्र प्रयोगशाला में दिनांक 23.01.2021 को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त हुए रिपोर्ट में प्राप्त सामानो के सील होने का जो विवरण दिया है, उसके अनुसार 04 वस्त्रावृत समुद्रित बडल जिन पर (R.C. KUSHWAHA RCK SI. U.P.P.) मुद्रा बडल 1 से 4 पर नमूनानुसार की छाप अक्षत थी।

<u>प्रदर्शो का विवरण</u>

1– टांगी	एक वस्त्रावृत बंडल में – आला कत्ल (1)
2– लोवर	एक वस्त्रावृत बंडल में अभियुक्त (2)

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

3– मिट्टी खूनालूदा	एक वस्त्रावृत बंडल में – घटनास्थल से (3)
3– मिट्टी सादी	एक वस्त्रावृत बंडल में – घटनास्थल से (4)

परीक्षण परिणाम

वस्तु (1) से (3) पर रक्त पाया गया।

रक्त के प्रारम्भिक परीक्षण हेतु बेन्जीडीन परीक्षण प्रयोग में लाया गया।

रक्त की पुष्टि के लिए क्रिस्टल परीक्षण प्रयोग में लाया गया।

वस्तु (1) व (2) पर मानव रक्त पाया गया ।

वस्तु (3) पर रक्त (वियोजित) डिसइंटीग्रेटेड पाया गया । अतः मूल निर्धारण न हो सका ।

वस्तु (1) व (2) पर रक्त के वर्गीकरण के लिए किये गये परीक्षणों से कोई निश्चित परिणाम न निकल सका।

रक्त का वर्ग निर्धारण मिक्स्ड अग्लूटीनेशन विधि द्वारा किया गया ।

रक्त का मूल निर्धारण जेल प्रसरण विधि द्वारा किया गया ।

नोट – वस्तु (1) से (3) को परीक्षणोंपरान्त उसी बंडल में रखकर एक सर्वमुहर बंडल में वापस भेजा जा रहा है।

अपठनीय हस्ताक्षर

विशेषज्ञ

(ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक)

26– समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यो तथा वस्तु प्रदर्शो के सम्यक परिशीलन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं कि–

(क) प्रस्तुत सत्र वाद में हत्या की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट गाँव के चौकीदार अभियोजन साक्षी संख्या– 01 करिया चौकीदार द्वारा लिखित तहरीर प्रदर्श क– 1 प्रस्तुत कर थाना– सिकरीगंज में दिनांक 10.01.2021 को समय 10:51 बजे दर्ज करायी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त सोनू सिंह द्वारा मृतक बालेन्द्र सिंह की टांगी मार कर हत्या किये जाने का कथन किया गया है। करिया चौकीदार द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान में प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने हत्या कारित होते हुए नहीं देखा है। विवेचक अभियोजन साक्षी संख्या– 04 निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा यह बयान दिया है कि किसी भी साक्षी ने जिनका मैने बयान अपने केस डायरी में अंकित किया है किसी भी अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने देखे जाने की बात नहीं बतायी है। इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन साक्षियों के बयान अंकित किये हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के समेकित विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रस्तुत सत्र वाद में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। यह वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा अपने निर्णय **Sharad Birdhichand Sarda vs State Of Maharashtra,** 1984 (4) **SCC** 116 में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के विश्लेषण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं–

153– A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established :

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.

It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned 'must or should' and not 'may be' established. There is not only a grammatical but a legal distinction between 'may be proved' and "must be or should be proved" as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade v. State of Maharashtra where the following observations were made: [SCC para 19, p. 807: SCC (Cri) p. 1047]

Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions.

(2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency,

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

उपरोक्त पांच सिद्धान्तो को परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने का पंचशील के सिद्धान्त माने गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय परिस्थितजन्य साक्ष्य के वादो में साक्ष्य के परिशीलन के सम्बन्ध में सार्थक सिद्धान्त प्रस्तर– 155 से लेकर 160 तक वर्णित किये गये है, जो निम्नलिखित हैं–

155. It may be interesting to note that as regards the mode of proof in a criminal case depending on circumstantial evidence, in the absence of a corpus delicti, the statement of law as to proof of the same was laid down by Gresson, J. (and concurred by 3 more Judges) in King v. Horry, thus:

Before he can be convicted, the fact of death should be proved by such circumstances as render the commission of the crime morally certain and leave no ground for reasonable doubt : the circumstantial evidence should be so cogent and compelling as to convince a jury that upon no rational hypothesis other than murder can the facts be accounted for.

156. Lord Goddard slightly modified the expression 'morally certain' by "such circumstances as render the commission of the crime certain".

157. This indicates the cardinal principle of criminal juris-prudence that a case can be said to be proved only when there is certain and explicit evidence and no person can be convicted on pure moral conviction. Horry case was approved by this Court in Anant Chintaman Lagu v. State of Bombay". Lagu case as also the principles enunciated by this Court in Hanumant case' have been uniformly and consistently followed in all later decisions of this Court Tufail case, without any

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

single exception. To quote a few cases Ramgopal case, Chandrakant Nyalchand Seth v. State of Bombay, Dharambir Singh v. State of Punjab. There are a number of other cases where although Hanumant case' has not been expressly noticed but the same principles have been expounded and reiterated, as in Naseem Ahmed v. Delhi Administration, Mohan Lal Pangasa v. State of U.P.24, Shankarlal Gyarasilal Dixit v. State of Maharashtra and M.G. Agarwal v. State of Maharashtra a five–Judge Bench decision.

158. It may be necessary here to notice a very forceful argument submitted by the Additional Solicitor–General relying on a decision of this Court in Deonandan Mishra v. State of Bihar, to supplement his argument that if the defence case is false it would constitute an additional link so as to fortify the prosecution case. With due respect to the learned Additional Solicitor–General we are unable to agree with the interpretation given by him of the aforesaid case, the relevant portion of which may be extracted thus:

But in a case like this where the various links, as stated above have been satisfactorily made out and the circumstances point to the appellant as the probable assailant, with reasonable definiteness and in proximity to the deceased as regards time and situation....such absence of explanation or false explanation would itself be an additional link which completes the chain.

159. It will be seen that this Court while taking into account the absence of explanation or a false explanation did hold that it will amount to be an

additional link to complete the chain but these observations must be read in the light of what this Court said earlier, viz., before a false explanation can be used as additional link, the following essential conditions must be satisfied:

(1) various links in the chain of evidence led by the prosecution have been satisfactorily proved,

(2) the said circumstance points to the guilt of the accused with reasonable definiteness, and

(3) the circumstance is in proximity to the time and situation.

160. If these conditions are fulfilled only then a court can use a false explanation or a false defence as an additional link to lend an assurance to the court and not otherwise. On the facts and circum–stances of the present case, this does not appear to be such a case. This aspect of the matter was examined in Shankarlal case where this Court observed thus: [SCC para 30, p. 43 SCC (Cri) p. 322]

Besides, falsity of defence cannot take the place of proof of facts which the prosecution has to establish in order to succeed. A false plea can at best be considered as an additional circum–stance, if other circumstances point unfailingly to the guilt of the accused.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **Padala Veera Reddy vs. State Of Andhra Pradesh And Others,** ए0आई0आर0, 1990 एस०सी० 79 में

परिस्थितजन्य साक्ष्य के वाद में साक्ष्यों के परिशीलन के सम्बन्ध में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का निम्नानुसार होना आवश्यक माना गया है–

(1) the circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn, must be cogently and firmly established; (2) those circumstances should be of a definite tendency unerringly pointing towards guilt of the accused;

(3) the circumstances, taken cumulatively, should form a chain so complete that there is no escape from the conclusion that within all human probability the crime was committed by the accused and none else; and (4) the circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete and incapable of explanation of any other hypothesis than that of the guilt of the accused and such evidence should not only be consistent with the guilt of the accused but should be inconsistent with his innocence. (See Gambhir v. State of Maharashtra).

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **Devi Lal vs The State Of Rajasthan, 2019 (19) एस०सी०सी० पेज–447** में निम्नलिखित निष्कर्ष दिये हैं कि यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के विश्लेषण से यदि दो निषकर्ष सम्भव हो, एक जो अभियुक्त को दोषी सिद्ध करता हो, दूसरा जो उसको निर्दोष पाता हो। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त अपने पक्ष के निष्कर्ष का लाभ पाने का अधिकारी होता है।

(ख) अभियोजन साक्षी संख्या– 01 करिया चौकीदार द्वारा अपने साक्ष्य से केवल इस तथ्य को साबित किया है कि उसके द्वारा तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी है। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी है।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

(ग) अभियोजन साक्षी संख्या– 02 योगेन्द्र सिंह द्वारा भी पंचायतनामा प्रदर्श क– 02 को साबित किया है तथा पढ़ने सुनने के बाद हस्ताक्षर करने का कथन मुख्य परीक्षा में किया है, किन्तु प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मुझे नहीं बताया गया एवं नहीं पढ़ने दिया गया। पंचायतनामा के अवलोकन से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 10.01.2021 को 12:30 बजे समाप्त हो गयी। अभियोजन साक्षी संख्या– 03 हे0 कां0 शेषनाथ चौधरी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी0डी0 क्रमशः प्रदर्श क– 03 व 04 को साबित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 03 के बयानो में कोई विरोधाभास नहीं है।

(घ) अभियोजन साक्षी संख्या– 04 उपेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा अभियुक्त सोनू सिंह की गिरफ्तारी मुखबिर खास से सूचना मिलने पर किये जाने तथा उसी फर्द बरामदगी में अभियुक्त सोनू सिंह द्वारा बालेन्द्र सिंह की हत्या करने की स्वीकरोक्ति अंकित कर उसी फर्द बरामदगी में अभियुक्त सोनू सिंह की निशानदेही पर अभियुक्त सोनू सिंह के घर से कथित रूप से घटना में प्रयुक्त टांगी आला कत्ल एवं अभियुक्त के पहने हुए खून लगे हुए लोवर की बरामदगी भी फर्द बरामदगी में दर्शायी गयी। यह समस्त कार्यवाही दिनांक 10.01.2021 को समय 12.30 बजे किया जाना फर्द बरामदगी में अंकित किया गया है।

(ड़) यह उल्लेखनीय है कि आला कत्ल टांगी व अभियुक्त के पहने हुए लोवर की बरामदगी की, जो फर्द प्रदर्श क– 6 तैयार की गयी है उस फर्द बरामदगी में जनता का कोई गवाह नही है। वह फर्द बरामदगी प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा तैयार की गयी है। कां0 रामधारी यादव व कां0 विक्रम प्रताप को हमराहीगण के रूप में दर्शाया गया है तथा सोनू सिंह का अंगूठा निशानी है। कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या– 04 द्वारा जो दो नक्शा–नजरी क्रमशः प्रदर्श क– 05 घटना स्थल की व प्रदर्श क– 07 बरामदगी आला कत्ल की तैयार की गयी है। वह दोनो स्थान अगल–बगल के ही हैं। यह दोनो नक्शा–नजरी क्रमशः प्रदर्श क– 5 व प्रदर्श क– 7 व फर्द बरामदगी प्रदर्श क– 6 दिनांक 10.01.2021 को ही तैयार की गयी है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क– 6 में बरामदगी की कार्यवाही समय 12:30 बजे विवेचक द्वारा किये जाने का कथन किया गया है।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

(च) अभियोजन साक्षी संख्या– 05 उपनिरीक्षक रमेश चन्द कुशवाहा द्वारा अपने बयान में दिनांक 10.01.2021 को समय 10:51 बजे सूचना पाकर पंचान की कार्यवाही किये जाने का बयान दिया है। इस साक्षी द्वारा घटना स्थल से खूनालूदा व सादी मिट्टी को लेकर सील मोहर करने का भी बयान दिया है। इस साक्षी द्वारा पंचायतनामा प्रदर्श क– 02 पर अपने लेख व हस्ताक्षर को तसदीक किया है। पंचायतनामा प्रदर्श क– 02 पर पंचायतनामा की कार्यवाही समाप्त करने का समय 12:30 बजे दिनांक 10.01.2021 लिखा है। पंचायतनामा के अनुसार मृतक का शव घर के बरामदे में चित अवस्था में पड़ा था। पंचायतनामा में पांच पंचान भी नियुक्त किये गये थे।

(छ) अभियोजन साक्षी संख्या– 04 निरीक्षक उपेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा फर्द प्रदर्श क– 06, जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी, अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति एवं अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी व अभियुक्त के पहने हुए लोवर की कब्जा लेने की कार्यवाही भी दिनांक 10.01.2021 को समय 12.30 बजे किये जाने का कथन किया गया है।

(ज) आला कत्ल की बरामदगी स्थल व मृतक का पंचायतनामा किये जाने का स्थल अगल–बगल का हो एवं दोनो ही कार्यवाही 12.30 बजे दिनांक 10.01.20201 को हो रही हो, तो पंचायतनामे की कार्यवाही में पांच पंच नियुक्त होना व पंचायतनामा स्थल के समीप स्थान से उसी समय 12.30 बजे दिनांक 10.01.2021 को ही अभियुक्त सोनू सिंह द्वारा अपराध स्वीकरोक्ति के उपरान्त अभियुक्त सोनू सिंह की निशानदेही पर आला कत्ल की बरामदगी में किसी भी जनसाक्षी का न होना अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बनाता है। प्रदर्श क– 6 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त सोनू सिंह की गिरफ्तारी मुखबिर खास की सूचना व पहचानने पर किया जाना दर्शाया गया है। गिरफ्तारी के उपरान्त हत्या के अपराध स्वीकरोक्ति सोनू सिंह द्वारा कथित रूप से किया जाना भी दर्शाया है। ऐसी परिस्थिति में कथित बरामदगी के समय जनसाक्षी/स्वतन्त्र साक्षी का न लिया जाना व बरामदगी उसी स्थान से दर्शाना जहाँ पर उसी समय पंचायतनामा की कार्यवाही समाप्त हो रही हो से बरामदगी सन्देहास्पद हो जाती है।

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

(झ) अभियुक्त की निशानदेही से कथित रूप से बरामद आला कत्ल टांगी एवं कथित रूप से अभियुक्त के पहने हुए लोवर को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु पत्र प्रदर्श क– 08 के साथ से भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जांच कर पूछे गये प्रश्नो में से प्रथम प्रश्न की बरामद आला कत्ल व अभियुक्त के पहने हुए लोवर पर क्या मानव रक्त है? का उत्तर देते हुए यह उत्तर दिया है कि वस्तु– 1 टांगी व वस्तु– 2 लोवर पर मानव रक्त पाया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा पूछे गये दूसरे प्रश्न कि घटना स्थल से बरामद सादी मिट्टी व खूनालूदा मिट्टी,आला कत्ल व अभियुक्त के पहने हुए लोवर पर लगे खून के धब्बे क्या एक ही व्यक्ति के हैं? का उत्तर नहीं दे सके है, क्योकि टांगी व लोवर पर रक्त के वर्गीकरण के लिए किये गये परीक्षणों से कोई निश्चित परिणाम न निकल सका। मिट्टी खूनालूदा पर रक्त (वियोजित) डिसइंटीग्रेटेड पाया गया। अतः मूल निर्धारण नहीं हो सका। इस प्रकार से विधि विज्ञान प्रयोगशााला की रिपोर्ट से यह साबित नहीं हो सका है कि जो घटना स्थल पर रक्त पाया गया वही रक्त कथित रूप से बरामद टांगी व अभियुक्त के कथित रूप से पहने हुए लोवर पाया गया है।

(ञ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल अपील संख्या– 850–851/2019, निर्णीत दिनांकित 28 जनवरी, 2025 गम्भीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 (4) JIC 563** में हेतुक, अन्तिम बार साथ देखे जाने के कथन एवं बरामदगी को अभियोजन द्वारा साबित न किये जाने के कारण अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को मुत्युदण्ड के आदेश को निरस्त कर दोषमुक्त कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह भी निष्कर्ष दिया है कि यदि इस बहस कि आला कत्ल की बरामदगी अभियुक्त से मान भी ली जाए तो भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आला कत्ल पर पाये गये रक्त का वर्गीकरण/ग्रुप को स्पष्ट नहीं कर सकी है, अतः की गयी बरामदगी से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

(ट) अभियोजन साक्षी संख्या– 06 डा0 सत्येन्द्र कुमार द्वारा पोस्टमार्टम को साबित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क– 16 व इस साक्षी के बयान से इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि मृतक बालेन्द्र सिंह की मृत्यु उसको पहुँचायी गयी मृत्यु पूर्व चोटो के कारण कोमा में जाने के कारण हुई। पंचायतनामा प्रदर्श क– 2 में मृतक को फुल बाजू का कुर्ता कत्थई रंग का, लोवर हल्का आसमानी रंग का, लक्स वीनस अन्डर वीयर हल्के पीले रंग का,

नेकर हाफ नीले रंग का, स्वेटर स्लेटी रंग का फुल बाजू, दो इनर स्लेटी रंग का फुल बाजू, एक सफेद रंग बनियान पहने होने का कथन किया गया है, किन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर पहले हुए कपड़ो का कोई उल्लेख नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या– 07 एस0आई0 राजा राम द्विवेदी द्वारा भी अपने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया गया है कि मेरे द्वारा जिन लोगो के बयान अंकित किये गये हैं, उनमे से किसी के द्वारा भी घटना को देखा जाना नहीं कहा गया है।

(ठ) अभियोजन कथानक के अनुसार एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार हत्या करने का हेतुक अभियुक्त सोनू सिंह द्वारा अपने हिस्से की जमीन बेचने व उसके पैसे के बटवारे को लेकर झगड़ा होना दर्शाया गया है। किन्तु अभियोजन द्वारा इस तथ्य को साबित करने हेतु कोई मौखिक साक्षी परीक्षित नहीं कराया है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त सोनू सिंह द्वारा कोई जमीन बेची गयी हो। परिस्थितजन्य साक्ष्य के वाद में अभियोजन हेतुक को साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है।

(ड) समस्त साक्ष्यों के अवलोकन से इसी निष्कर्ष पर पहुॅचा जा सकता है कि अभियोजन अपराध करने के हेतुक (Motive), अभियुक्त सोनू सिंह से की गयी कथित बरामदगी को साबित करने में सफल नहीं रहा है।

27– समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों एवं वस्तु प्रदर्शो के सावधानी पूर्वक परीक्षण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्तगण सोनू सिंह पुत्र स्व0 नित्यानन्द सिंह व उमेश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत सत्र वाद संख्या– 2140/2021 में लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा– 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, अपराध संख्या– 02/2021, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर को अभियोजन युक्ति–युक्त सन्देहो से परे साबित करने में सफल नहीं रही है। अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने योग्य है। धारा– 354 (ख) के अन्तर्गत विरचित अवधार्य प्रश्न उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

आदेश

सत्र वाद संख्या– 2140/2021, अपराध संख्या– 02/2021, थाना– सिकरीगंज, जनपद– गोरखपुर के प्रकरण में अभियुक्तगण

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

सोनू सिंह व उमेश सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 302/34 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त सोनू सिंह जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध है। अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त सोनू सिंह यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे रिहा कर दिया जाये।

अभियुक्त उमेश सिंह जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

माल मुकदमाती यदि कोई हो, तो बाद मियाद अपील, अपील न होने की दशा में नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक/गोरखपुर
14 जुलाई, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक/गोरखपुर
14 जुलाई, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.14 16:30:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court